रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 29 फरवरी, 1980/10 फाल्गुन, 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(अनुभाग-सी)

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 फरवरी, 1980

क्रमांक जी० ए० डी० (जी० आई०)-6 (एफ)-43/79.—हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियम) नियम, 1979 को, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, जन-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित करने का आदेश देते हैं ।

इस विषय में आपत्तियां व सुझाव, उक्त नियमों के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे जायें ताकि प्रस्तावित नियमों को अन्तिम रूप में लागू करने से पूर्व इन पर विचार किया जा सके ।

ओ० पी० यादव,
सचिव ।

136-राजपत्र-29-2-80—1,033.

मूल्य: 20 पैसे

हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियम) नियम, 1979

भाग-I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) ये नियम हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियम) नियम, 1979 के रूप में उद्धृत किए जाएं ।

(ii) ये तुरन्त प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,—

(i) "अधिनियम" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1979 (1979 का 4) से है;

(ii) "श्रोता कक्ष" से अभिप्राय भवन के उस भाग से है जहां श्रोता अथवा दर्शक चलचित्र/प्रदर्शनी के दौरान बैठते हैं ;

(iii) "अनुमोदित चलचित्र" से अभिप्राय भारत मे बने उस चलचित्र से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने, फिल्म एडवाईजरी बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर वैज्ञानिक, शिक्षा सम्बन्धी, समाचारों तथा वर्तमान घटनाओं अथवा दस्तावेजी चलचित्र अनुमोदित किया है;

(iv) "विद्युत निरीक्षक" से अभिप्राय भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 36 के अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक से है;

(v) "बन्द कक्ष" से अभिप्राय लाइसैंस प्राप्त स्थान के उस भाग से है जिसमें अधिनियम की धारा 5 के अधीन चलचित्र उपकरण फिट किया गया हो;

(vi) "कार्यकारी अभियन्ता" से अभिप्राय चलचित्र/प्रदर्शनी के लिए किसी स्थान के लाइसैंस के सम्बन्ध में उस अधिकारी से है जो उस स्थान के लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा) के मण्डल का कार्यभार सम्भाल रहा हो जहां वह स्थान स्थित है ;

(vii) "बहिर्गमन द्वारा" से अभिप्राय आपात कालीन स्थिति में बाहर जाने के रास्ते सहित लोगों द्वारा प्रयुक्त प्रवेश द्वार से है;

(viii) "अग्नि प्रतिरोधक सामग्री" से अभिप्राय है:—

(क) पक्की ईंट, ठोस सीमेंट तथा पुन: पुष्टीकृत ईंट से बनी अथवा बजरी सीमेंट से बनी, जिस पर न्यूनतम 25 मि0 मी0 की परत हो ;

(ख) पक्की मिट्टी का दृढ़ता से बनाया गया ब्लाक जिसका कोई तट अथवा किनारा मोटाई में 38 मि0 मी0 से कम न हो ;

(ग) पत्थर, टाईलें, जिप्सम के ठोस ब्लाक, संगमरमर, लोहा, इस्पात, तांबा अदह धातु अथवा जस्त ; या

(घ) ऐसी अन्य सामग्री जिसे कार्यकारी अभियन्ता अनुमोदित करें ;

(ix) "सरकार" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार से है ;

(x) "भ्रमण-चलचित्र यन्त्र" से अभिप्राय उस चलचित्रदर्शी उपकरण से है जो इस प्रकार अपनाया एवं बनाया गया हो, कि इसे चलचित्र प्रदर्शनी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ;

(xi) "सुरक्षित किस्म के भ्रमण चलचित्र यन्त्र" से अभिप्राय ऐसे भ्रमण चलचित्र यन्त्र से है जिसके प्रक्षेपक (प्रोजैक्टर) के लिए एक उद्दीप्त दीप (Incandscent lamp) प्रयुक्त होता हो ;

(xii) "वयस्क" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ।

भाग-II

3. **लाईसैन्स देने की विधि**—(i) अधिनियम की धारा 5 के अधीन दिए गए लाइसैंस या तो तीन वर्ष की अवधि के लिए होंगे अथवा अस्थाई होंगे ।

(ii) तीन वर्ष का लाइसैंस केवल अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अधीन चलचित्र प्रदर्शनों हेतु स्थाई रूप से सुसज्जित भवन के सम्बन्ध में भाग-III में नियमों के उपबन्ध के अनुसार ही दिया जाएगा । यह जारी करने की तिथि से तीन वर्ष तक वैध होगा जो लाइसैंसधारी के आवेदन करने पर नवीकरण योग्य होगा :

परन्तु तीन वर्षीय लाइसैंस की सुरत में, लाइसैंस प्राप्त स्थान का वार्षिक निरीक्षण, कार्यकारी अभियन्ता और हिमाचल सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा, नियम 16 की अनुसूची में निर्धारित फीस अदा करने पर किया जाएगा ।

(iii) उप नियम (iv) तथा भाग (v) में नियमों के अधीन किसी शहर या गांव में भ्रमण चलचित्र प्रदर्शनी के लिए एक वर्ष में कुल मिला कर छः मास की अवधि से अधिक समय के लिए अस्थाई लाइसैंस नहीं दिया जा सकता है :

परन्तु लाइसैंस प्राधिकारी उक्त छः मास का समय उसी वर्ष में पर्याप्त लिखित कारण के आधारे पर, यदि वह उचित समझें तो अधिक समय, परन्तु छः मास से अधिक नहीं बढ़ा सकता है :

इसके अतिरिक्त यह भी उपबन्धित है कि किसी ऐसे शहर अथवा गांव के लिए कुल अवधि की गणना करते समय वह अवधि भी गिनी जाएगी जिसके लिए उसी अथवा किसी अन्य भ्रमण चलचित्र को ऐसे शहर अथवा गांव की 8 किलोमीटर की बाहरी सीमाओं के भीतर लाइसैंस प्रदान किया गया है ।

(iv) भ्रमण चलचित्र के लिए लाइसैंस केवल उसी स्थान के लिए दिया जाएगा जहां कोई स्थाई सिनेमा न हो, परन्तु ऐसा लाइसैंस ऐसे स्थान के लिए विशेष अवसरों, जैसे मेले, धार्मिक समूह अथवा किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कुल तीन माह की अवधि से अधिक समय के लिए नहीं दिया जा सकता है ।

4. **लाईसैंस**—लाइसैन्स चाहे तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अस्थाई हो इन नियमों से सलंग्न फार्म "क" में होंगे तथा उस में दिये गये प्रतिबन्धों तथा शर्तों और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे ।

5. (i) लाइसैंस प्राप्त करने या उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र लिखित रूप में होगा तथा आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

(ii) तीन वर्षीय लाइसैंस के नवीकरण से भिन्न लाइसैंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं:–

(क) परिसर और उसमें प्रयुक्त होने वाले चलचित्र यन्त्र के स्वामित्व तथा सभी अधिकारों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण;

(ख) परिसरों के नक्शे, उत्थान तथा अनुभागों की दो प्रतियां दी जायें तथा उस पर बनाए गए सभी भवन और संरचनाएं 300 मि0 मी0 को 25 मि0 मी0 के पैमाने में दिखा कर नक्शे में दिखाई जाए और इन में सभी सीढ़ियों की चौड़ाई और प्रत्येक में पगों की संख्या, बरामदों, अन्य मार्गों तथा दरवाजों की चौड़ाई, चलचित्र यन्त्र और विद्युत शक्ति के उत्पादन एवं परिवर्तन के संयन्त्र की ऊंचाई भी दर्शाई जानी चाहिए ;

(ग) परिसर के साथ लगने वाले निकटवर्ती परिसरों तथा उन सार्वजनिक मार्गों के सम्बन्ध में परिसरों की स्थिति दिखाते हुए तथा मोटरकारों और अन्य वाहनों को खड़ा करने के लिए प्रस्तावित प्रबन्धों को दिखाते हुए साथ लगाया जायेगा अलग पत्र पर एक स्थान रेखा चित्र [दो प्रतियों में जो कि 300 मि0 मि0 के लिये 3 मी0 मी0 के पैमाने पर बनाया गया हो ;

(घ) भवन के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रस्तावित विभिन्न सामग्रियों का विशिष्टीकरण ।

(iii) दिशासूचक यन्त्र के दिग बिन्दु (कार्डिनल प्वाइंट) नक्शे पर दिखाए जाने चाहिए तथा वह इस प्रकार रंजित हो कि भवन में प्रयुक्त सामग्रियों की सुभिन्नता दिखाएं ।

(iv) चलचित्र प्रदर्शनी हेतु परिसरों के अनुकूलन के लिए आवश्यक परिवर्तन करने से पूर्व या नए भवन की स्थिति में, इसका निर्माण शुरू करने से पूर्व इस नियम के उप-नियम (ii) के आवेदन पत्र लाइसैंस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

निर्माण कार्य उस समय तक शुरू नहीं किया जाएगा तब तक कि कार्यकारी अभियन्ता प्रमाणित न करें कि परिसरों का निर्माण, वृद्धि या परिवर्तन इन नियमों या स्थानीय प्राधिकारी के भवन उप-नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार है ।

(v) लाइसैंस प्राधिकारी अस्थाई लाइसैंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक से ऐसे परिसरों के नक्शे तथा ऐसी निर्दिष्टियां प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जैसे कि वह आवश्यक समझे ।

6. तीन वर्ष के लाइसैंस के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र पुराने लाइसैंस के समाप्त होने की तिथि से तीन मास पूर्व दिया जाएगा :

परन्तु यदि नवीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्दिष्ट तिथि के पश्चात् दिया जाता है तो लाइसैंस प्राधिकारी नए लाइसैंस के लिए प्रमार्थ फीस की अदायगी पर लाइसैंस का नवीकरण कर सकता है ।

7. (i) लाइसैंस के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र पर यदि लाइसैंस प्राधिकारी किसी भी कारण से लाइसैंस की तिथि समाप्त होने से पूर्व लाइसैंस को नवीकृत करके वापिस नहीं करता या इसके नवीकरण के लिए इन्कार नहीं करता तो वह इन नियमों से संलग्न फार्म 'ख' में अस्थाई परमिट प्रदान कर सकता है ।

(ii) ऐसा अस्थाई परमिट उसी लाइसैंस की शर्तों के अधीन होगा जिसका कि नवीकरण मांग गया है और यह ऐसी अवधि जो कि दो मास से अधिक नहीं होगी, या जैसे लाइसैंस

प्राधिकारी निर्देश दें, तक वैध होगा :

परन्तु आवेदक द्वारा विधिवत् नवीकृत लाइसैंस प्राप्त करने पर या उसे लाइसैंस को नवीकरण करने के इन्कार का आदेश मिलने पर अस्थाई परमिट वैध नहीं रहेगा और वह उसे लाइसैंस प्राधिकारी को समर्पित कर देगा ।

(iii) अस्थाई परमिट इसकी वैधता की अवधि के दौरान इन नियमों के प्रयोजनों के लिए लाइसैंस समझा जाएगा ।

(iv) ऐसा अस्थाई परमिट प्रदान करने के लिए दस रुपये फीस उद्ग्रहीत की जाएगी, परन्तु यदि लाइसैंस प्राधिकारी के विचार में यह हो कि परमिट का दिया जाना लाइसैंसधारी की लापरवाही के कारण नहीं है तो यह फीस अथवा इसके कुछ भाग की छूट दी जा सकती है ।

8. (i) लाइसैंसधारी इन नियमों के उपबन्धों तथा अपने लाइसैंस की शर्तों का पालन करने के लिए, हर समय, लाइसैंस प्राप्त परिसरों के अनुरक्षण के लिए तथा इन नियमों द्वारा निर्धारित मानदण्डों की अनुरूपता के लिए तथा चलचित्र प्रदर्शनी आरम्भ करने से पूर्व सभी आवश्यक उपाय करने के लिए, जिस से आग तथा अन्य दुर्घटना से जनता तथा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ii) जब कोई प्रदर्शनी चल रही हो तो समस्त समय के दौरान लाइसैंसधारी अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा लिखित रूप से नामित व्यक्ति लाइसैंस प्राप्त परिसरों तथा चलचित्र-यन्त्र का सामान्य प्रभारी होगा ।

निरीक्षण

9. तीन वर्षीय लाइसैंस प्रदान करने या इसका नवीकरण करने से पूर्व लाइसैंस प्राधिकारी लाइसैंसधारी से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर :–

(क) कार्यकारी अभियन्ता को भवन की निर्माण सम्बन्धी रूपरेखा का परीक्षण करने तथा एक मास के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहेगा कि क्या उस से सम्बन्धित नियमों का विधिवत पालन किया गया है ;

(ख) विद्युत-निरीक्षक को भवन में प्रयुक्त किये जाने वाले चलचित्र-यन्त्र तथा विद्युत उपकरणों का परीक्षण करने के लिए कहेगा तथा एक मास की अवधि के भीतर यह रिपोर्ट करने के लिए कहेगा कि क्या ये दोनों इन नियमों की तथा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अनुसार तथा इसके अधीन बनाये ऐसे नियम जो लागू हो, का अनुपालन करते हैं, और क्या विद्युत के झटके से दर्शकों तथा कर्मचारियों को बचाने के लिए तथा विद्युत-उपकरणों के प्रयोग से भवन में आग लगने को रोकने के लिए उचित सावधानियां बरती गई हैं, तथा क्या निर्धारित अग्नि शमक उपकरण उपलब्ध है और क्या वे चालू हालत में है तथा जिस प्रयोजन के लिए अभिप्रेत है उसके उपयुक्त है।

(ii) ऐसे परीक्षणों में बताई गई त्रुटियां आवेदक या लाइसैंसधारी को बतलाई जाएंगी तथा लाइसैंस प्राधिकारी के ध्यान में लाई जाएंगी, जो लाइसैंस प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए इन्कार कर सकता है, जब तक कि उन त्रुटियों को उसकी सन्तुष्टि के अनुसार दूर न किया जाए ।

10. लाइसैंस प्राधिकारी अथवा इस सम्बन्ध में उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी

भी समय उस स्थान में प्रवेश कर सकता है जिसके बारे में यह विश्वास करने के लिए उसके पास कारण हो कि वह स्थान चलचित्र प्रदर्शनी के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है अथवा प्रयुक्त किया जाना अभिप्रेत है, ताकि वह अपने आप की सन्तुष्टि कर सके कि क्या अधिनियम के सभी उपबन्धों, उसके अधीन बनाए सभी नियमों तथा लाइसैंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है ।

11. (i) विद्युत निरीक्षक अथवा इस सम्बन्ध में उसकी सहायता करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया अधिकारी किसी भी समय अधिनियम की धारा 5 के अधीन लाइसैंस प्राप्त किसी भी स्थान में किसी भी समय प्रवेश कर सकता है तथा निरीक्षण कर सकता है ।

(ii) ऐसे निरीक्षण में पाई गई त्रुटियां लाइसैंसधारी के ध्यान में लाई जाएंगी तथा लाइसैंस प्राधिकारी को भी इसकी रिपोर्ट दी जाएगी ।

12. (i) लाइसैंस प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझें तो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अधीन लाइसैंस प्राप्त किसी स्थान की सफाई की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए चिकित्सा अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है, तथा ऐसा अधिकारी निरीक्षण करने के प्रयोजन हेतु परिसर के सभी भागों में किसी भी समय जा सकता है ।

(ii) ऐसे निरीक्षणों द्वारा पाई गई त्रुटियां लाइसैंसधारी के ध्यान में लाई जाएगी तथा लाइसैंस प्राधिकारी को भी इसकी रिपोर्ट की जाएगी ।

13. लाइसैंस, तथा उस के साथ सलंग्न यदि कोई नक्शा तथा विवरण हो, लाइसैंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा इन नियमों द्वारा जो अधिनियम की धारा 5 के अधीन लाइसैंस प्राप्त स्थान में प्रवेश करने का प्राधिकृत हो, की मांग पर दिखाया जाएगा ।

परिवर्तन तथा मुरम्मत

14. (i) अधिनियम की धारा 5 के अधीन लाइसैंस प्राप्त किसी परिसर के किसी भाग में वृद्धि या परिवर्तन जो आग के कारण अथवा किसी अन्य विपत्ति अथवा किसी अन्य कारण से आवश्यक हो गया हो, लाइसेंस प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

(ii) लाइसैंसधारी ऐसी वृद्धि तथा परिवर्तन करने के अपने आशय की सूचना लाइसैंस प्राधिकारी को लिखित रूप में देगा तथा उसके साथ पूर्ण नक्शे, उत्थान तथा प्रभाग और निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य का विवरण नियम 5 में निर्धारित ढंग से दो प्रतियों में साथ लगया जाएगा परन्तु ऐसे परिसरों की स्थिति में जिसके लिये अस्थाई लाइसैंस दिया गया हो उसके लिए ऐसे नक्शे तथा विवरण प्रस्तुत किए जायेंगे जैसे लाइसैंस प्राधिकारी आवश्यक समझे ।

(iii) जब तक लाइसैंस प्राधिकारी की सहमति प्राप्त न कर ली जाए कार्य आरम्भ नहीं होगा, तथा लाइसैंस प्राधिकारी अपनी सहमति जब तक कार्यकारी अभियन्ता प्रमाणित न कर दे कि प्रस्तावित वृद्धि तथा परिवर्तन इन नियमों के अनुसार है नहीं देगा ।

(iv) चलचित्र-यन्त्र तथा इसके उपकरण के किसी भाग अथवा प्रकाश व्यवस्था अथवा अन्य विद्युत्त इन्तजामों में परिवर्धन तथा परिवर्तन, लाइसैंस प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

लाइसैंसधारी ऐसी किसी वृद्धि तथा परिवर्तन करने के लिये अपने इस आशय की सूचना लिखित रूप में लाइसैंस प्राधिकारी को देगा तथा लाइसैंस प्राधिकारी उसकी स्वीकृति तब तक नहीं देगा जब तक कि विद्युत-निरीक्षक या उस द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रमाणित नहीं करता कि यह वृद्धि तथा परिवर्तन इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार है ।

15. मुरम्मत या पुनर्सज्जित करने के आशय से जो मंचन ढांचे या संयन्त्र अनिवार्य हो और यदि यह अभिप्रेत हो कि जनता तक ऐसे मन्चन, ढांचे या संयन्त्र लगे हुए हों अथवा प्रयोग में हो प्रवेश करेगी तो उनकी सूचना पूर्ण स्थिति के विवरण सहित, लाइसैंस प्राधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी । लाइसैंस प्राधिकारी ऐसा उचित समझें तो परिसर जनता के लिये तब तक बन्द रहेगा जब तक कि कार्य पूर्ण न हो जाए और मंचन, ढांचा तथा सयन्त्र को हटाया ना जाए ।

फीस

16. इन नियमों की अनुसूची में दिखाई गई फीस लाइसैंस प्रदान करने तथा लाइसैंस के नवीकरण तथा निरीक्षण के लिए प्रभार्य होगी ।

यह फीस लाइसैंस प्राप्त करने और नवीकरण तथा निरीक्षण के लिए आवेदन करने से पूर्व सरकारी कोष में जमा करवाई जायेगी ।

अनुसूची

फीस की सारणी

(नियम 16 देखिए)

		रुपये
1.	तीन वर्षीय लाइसैंस प्राप्त करने के लिये ..	1,500
2.	तीन वर्षीय लाइसैंस के नवीकरण के लिए ..	1,000
3.	प्रत्येक सप्ताह अथवा सप्ताह के भाग के लिये अस्थाई लाइसैंस के लिए ..	10

परन्तु व्यावसायिक फर्मों, प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों की स्थिति में जो अपने उत्पादन के प्रचार हेतु चलचित्र, प्रदर्शनी करें, प्रति सप्ताह 100 अथवा प्रतिदिन 20 रुपये फीस, जैसे स्थिति हो, प्रभार्य होगी ।

4.	तीन वर्षीय लाइसैंस की दूसरी प्रति के लिये ..	20
5.	लाइसैंस प्रदान करने अथवा नवीकरण करने हेतु कार्यकारी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण के लिये--	
	(i) प्रथम निरीक्षण के लिये ..	200
	(ii) किसी परवर्ती निरीक्षण के लिए जो कि आवश्यक हो, ऐसी राशि जैसे कि लाइसैंस प्राधिकारी निर्धारित करें, 200 रुपये से अधिक नहीं होगी ।	
6.	तीन वर्षीय लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए विद्युत्त निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिये--	
	(i) प्रथम निरीक्षण के लिये ..	200
	(ii) किसी परवर्ती निरीक्षण के लिये जो कि आवश्यक हो, ऐसी राशि जैसे कि लाइसैंस प्राधिकारी निर्धारित करें जो रु0 200 से अधिक नहीं होगी।	

7. भ्रमण चलचित्र-यन्त्र का विद्युत्त निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करने के लिये-- रुपये

(i) प्रथम निरीक्षण के लिये .. 100

(ii) किसी परवर्ती निरीक्षण के लिये जो कि आवश्यक हो ऐसी राशि जैसे कि लाइसैंस प्राधिकारी निर्धारित करें, 30 रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(iii) भ्रमण चलचित्रों के लिए उपयुक्ता प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां जारी करने के लिए 2 रुपये ।

8. (i) लाइसैंस प्राधिकारी के लिखित आदेशों के अधीन लाइसैंस के वैध होने की अवधि के दौरान कार्यकारी अभियन्ता अथवा विद्युत्त निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण के लिये जैसे किलाइसेंस प्राधिकारी निर्धारित करें, ऐसी राशि 200 रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(ii) नियम 3 के उप-नियम (ii) के परन्तुक के अधीन वार्षिक निरीक्षण के लिये लाइसेंस धारी को निरीक्षण की सम्यक तिथि के कम से कम एक मास पूर्व निर्धारित फीस सरकारी कोष में जमा करा कर आवेदन पत्र देना होगा ।

भाग–III

चलचित्र प्रदर्शनी हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिये लाइसैंस प्राप्त भवनों के सम्बन्ध में नियम

17. इस भाग में "भवन" से अभिप्राय उस भवन से है जिसके लिये नियम 18 के अधीन तीन वर्ष के लिये लाइसैंस प्रदान किया गया है अथवा प्रदान किया जा सकता है ।

18. (i) किसी भी भवन के लिये तीन वर्ष का लाइसैंस केवल उसी स्थिति में दिया जायेगा अथवा उसका नवीकरण किया जायेगा जब कि इसकी स्थिति, बनावट, उपस्कार, विद्युत्त एवं अन्य उपकरण इस भाग में दिये गये नियमों के अनुरूप हों ।

(ii) पिछले उप-नियम में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के लागू होने से पहले ही चलचित्र प्रदर्शन के लिये ऐसे भवन जिनको 3 वर्षीय लाइसैंस प्राप्त है, उनको लाइसैंस जितने समय के लिये सरकार ठीक समझे प्रदान किया जा सकता है या उसका नवीकरण हो सकता है ।

19. **स्थान**--(i) भवन:—

(क) यदि साऊण्ड प्रूफ (Sound Proof) हो तो, 60 मीटर और यदि साऊंड प्रूफ (Sound Proof) न हों तो 200 मीटर, पूजा के स्थान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, शव भूमि, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं तथा ऐसी संस्था के साथ निवास स्थान, सार्वजनिक हस्पताल अथवा यतीमखाना जिसमें 100 या इससे अधिक सहवासी हों, से कम व्यासार्ध में नहीं होगा और सरकार द्वारा किसी प्रचलित अधिनियम के अधीन बनाये गये नगर आयोजन तथा विकास स्कीम के उपबन्धों का उलंघन नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण.—60 मीटर या 200 मीटर घेरे का माप सिनेमा भवन के दर्शक कक्ष के बाहिर गमन द्वार से किसी भी उपरोक्त स्थान के प्रवेश द्वार तक माना जाएगा ।

(ख) भवन से किसी भी स्थिति में यातायात के नियमों का उल्लंघन न होता हो, तथा, या

(ग) यह एक पृथक भवन होगा:

शर्त यह भी उपबन्धित है कि इस की अन्य भवनों से दूरी 7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये तथा इसके इर्द-गिर्द का स्थान बाधक नहीं होना चाहिये तथा यह इस प्रकार का होगा कि आग लगने अथवा आतंक की स्थिति में जो लोग भवन में बैठे हैं वह शीघ्रता से बाहर निकल सकें तथा उस स्थान पर अग्नि शमन इंजन एवं अग्नि शमन यन्त्र आसानी से आ सके:

इस के साथ ही यह भी उपबन्धित है कि यदि भवन में एक हजार से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो तो उसकी अन्य भवनों से दूरी इतनी होगी जितनी की लाइसैंस प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अपेक्षित करेगा। अथवा यह खुले मार्ग से सटा हुआ होना चाहिये, यह दो अथवा इस से अधिक सार्वजनिक मार्ग से सटा हुआ तथा इसका अग्र मार्ग पर्याप्त लम्बाई में होना चाहिये जहां से कि प्रत्येक समय आसानी से बाहर जाया जा सके। सार्वजनिक मार्ग अथवा खुले स्थानों की चौड़ाई इतनी होनी चाहिये कि जिससे आग की स्थिति में कक्ष में बैठे लोग शीघ्रता से बाहर निकल सकें तथा अग्नि शमन इंजन तथा यन्त्र वहां लाए जा सकें।

शर्त यह है कि इन में से एक की चौड़ाई पटरियों सहित कम से कम 10 मीटर होनी चाहिये तथा यह आर-पार आने वाली सड़क होगी:

इसके साथ ही यह भी शर्त है कि ऐसे भवनों में जहां एक हजार से अधिक व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो वहां सार्वजनिक मार्ग अथवा खुले स्थानों की चौड़ाई तथा उसका अग्रभाग इतना चौड़ा होगा जितना कि लाइसैंस प्राधिकारी अपने लिखित आदेश द्वारा अपेक्षित करें।

(ii) अग्रभाग को पर्याप्त लम्बाई का तभी माना जायेगा यदि वह नाकों तथा प्रक्षेपों को छोड़ कर भवन के स्थल की कुल सीमा का लगभग आधा भाग हो:

किन्तु यदि वे आधे से कम हों तो सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना लाइसैंस प्रदान नहीं किया जायेगा।

(iii) भवन का निर्माण किसी अन्य भवन के निचले तल अथवा ऊपरी भाग पर लाइसैंस प्राधिकारी की लिखित विशेष सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

20. भवन का कोई भी भाग कारखाने, कार्यशाला अथवा भण्डारण के लिये अथवा होटल के रूप में अथवा आवास के लिये अथवा खाने अथवा पेय पदार्थों को तैयार करने के लिये, जैसा कि लाइसैंस प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुमति दें, को छोड़ कर अन्यथा प्रयोग अथवा काम में नहीं लाया जायेगा।

21. **बाहरी दीवारें**.—(i) भवन की बाहरी अथवा बीच की दीवारें, ईंट, मिट्टी, पत्थर, नालीदार चादर अथवा सीमेंट, रोड़ी की होगी।

(ii) जहां भवन किसी अन्य भवन के निकट हो उसे उस भवन से अग्नि प्रतिरोधी सामग्री द्वारा निर्मित दीवारों और संरचना से इस ढंग से पृथक किया जायेगा जैसा कि लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो तथा दीवार अथवा भवन का कोई भी झरोखा जिससे कि समीप के भवन में आग लग सके, साथ वाले भवन में नहीं खुलेगा।

(iii) भवन का कोई भी झरोखा जो कि निकट के स्थान पर, जिसमें ज्वलनशील संरचना की गई हो अथवा जहां पर ज्वलनशील सामग्री रखी गई हो खुलता हो तो वह लाइसैंस प्राधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार सुरक्षित रखा जायेगा।

22. **संरचना सम्बन्धी आवश्यकता**.—(i) भवन के सभी फर्श, बीथियां, स्तम्भ, खम्बे, जोड़, कैंचियां, सीढ़ियां, मध्यमंच अग्नि प्रतिरोधी सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।

(ii) विभाजक दीवार का निर्माण अग्नि प्रतिरोध सामग्री अथवा कम से कम 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी जो कि कार्यकारी अभियन्ता द्वारा कठोर लकड़ी के रूप में प्रमाणित की गई हो, द्वारा किया जायेगा।

(iii) भवन के ऊपर छत होगी । सभी कमरों के ऊपर की छतें तथा झालरें अग्नि प्रतिरोध सामग्री अथवा कोम्प्रेस्ड (Compressed) अथवा कृत्रिम सामग्री जो कि अग्नि प्रतिरोधी हो तथा जिससे कार्यकारी अभियन्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो, से बनाई जाएगी ।

(iv) सभी फर्श, वीथियां, लैंडिग (Landings), कौरीडोर (Corridor) तथा उनके आधार फर्श प्रति 35 वर्ग सैन्टीमीटर की दर से 45 किलो ग्राम का स्थाई भार सहन करने की क्षमता रखने वाले होंगे तथा अन्यथा भार की स्थिति में प्रत्येक सीढ़ी अथवा लैंडिग काफी मजबूत होना चाहिये जो कि किसी भी दिशा मे 136 किलो ग्राम के विशिष्ट भार को सहन करने की क्षमता रखता हो ।

(v) जहां पर पहली पंक्ति अथवा बीथी, दुकानों के ऊपर जाती हों वहां दुकानों के फर्शों तथा ऐसी पंक्तियों अथवा बीथी के बीच की दूरी किसी भी भाग में 3.40 मीटर से कम नहीं होगी । बीथी के फर्श के सब से ऊंचे भाग तथा उसी पर कमरे की छत के सब से निचले भाग की ऊंचाई किसी भी भाग पर 3.650 मीटर से कम नहीं होगी । किसी पंक्ति के बीच तथा इसके ऊपर पंक्ति अथवा कमरे की छत की ऊचाई किसी भी अवस्था में 2.440 मीटर से कम नहीं होगी ।

23. **मैल तथा पानी का निकास.**—(i) भवन तथा इसके अहाते में, यदि कोई हो, से मैल तथा पानी का निकास लाइसैंस प्राधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार होना चाहिये ।

(ii) लाइसैंस प्राधिकारी की लिखित अनुमति को छोड़कर अन्यथा भवन की सब से नीचे वाली मंजिल का निर्माण ऐसे स्तर पर नहीं किया जाएगा जहां से कि मल निकास अच्छी तरह से न हो सके ।

24. **स्थान.**—(i) भवन में बैठने वाले दर्शकों की कुल संख्या, बैठने अथवा खड़े होने के लिये उपलब्ध क्षेत्र के 20 प्रति 9.290 वर्ग मीटर अथवा कक्ष के फर्श के कुल क्षेत्र का 20 प्रति 12.402 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(ii) लाइसैंस की शर्तों के अनुसार भवन के किसी भाग में दर्शकों की कुल संख्या जिसकी अनुमति दी गई हो के बारे में नोटिस या तो प्रवेश द्वार पर अथवा चलचित्र कक्ष में किसी विशिष्ट स्थान पर लगाया जाएगा ।

25. **बैठने की व्यवस्था.**—(i) भवन में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि बाहिर गमन द्वार तक आसानी से पहुंचा जा सके ।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति के लिये बैठने का स्थान जहां पीठ की व्यवस्था हो 710 मि0मी0 से कम ऊंचा नहीं होना चाहिये तथा जहां पीठ की व्यवस्था न हो यह 610 मि0 मी0 से कम नहीं होना चाहिये तथा जहां बाहिर द्वार कुर्सियों की व्यवस्था हो यह स्थान 510 मि0 मी0 से कम चौड़ा नहीं होना चाहिये । बाहिरदार कुर्सी की व्यवस्था न होने की स्थिति में यह स्थान 455 मि0 मी0 से कम चौड़ा नहीं होना चाहिये ।

टिप्पणी.—(i) प्रत्येक पंक्ति में बैठने के स्थान की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि दृष्टि की सीध में कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा दृष्टि का कोण 35° से अधिक नहीं होना चाहिये ।

टिप्पणी.—(ii) प्रथम फरवरी, 1958 से पूर्व निर्मित सिनेमाघरों को छोड़कर कक्ष के फर्श की ढलान औसतन 455 मि0 मी0 में 25 मि0 मी0 के उतार में होगी ।

टिप्पणी.—(iii) दोहरे झुकाव के ढलान वाले सिनेमाघरों की स्थिति में चलचित्र कक्ष के फर्शों में पिछले भाग की ढलान 455 मि0 मी0 में 25 मि0 मी0 जब कि सामने वाले झुकाव की अवस्था में 610 मि0 मी0 में 25 मि0 मी0 होगी ।

(iii) बैठने वाले स्थान की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जायेगा कि लम्ब रूप में सामने पर एक बैठने के स्थान तथा उसके पीछे वाले बैठने के स्थान की बाजू तथा चौखटे के बीच का अन्तर स्पष्टतयः 300 मि0 मी0 से कम न हो।

(iv) निजि कोष्ठकों को छोड़कर बैठने के सभी स्थानों को सुरक्षित ढंग से फर्श के साथ जोड़ दिया जायेगा। यदि इसे पटरी की सहायता से अथवा कड़ियों द्वारा फर्श के साथ पुष्ट किया गया हो तो पूरा जोड़ दृढ़ता से फर्श के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।

(v) चलचित्र पर्दे तथा बैठने के स्थान की पहली पंक्ति के बीच की दूरी कम से कम निम्न होगी :—

(i) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले पर्दे के सिनेमाघरों में पर्दे की चौड़ाई के समान बशर्ते कि यह कम से कम 7.6 मीटर हो ।

(ii) 9 मीटर से अधिक चौड़ाई से युक्त पर्दे वाले सिनेमाघरों में पर्दे की चौड़ाई का 3/4 भाग, किन्तु कम से कम 9 मीटर ।

टिप्पणी.—संस्थापित पर्दे के अनुसार पर्दे तथा प्रथम पंक्ति की सीटों के बीच के स्थान को रिक्त छोड़ा जायेगा और इसमें इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि पर्दे के किसी भाग का अथवा पूरे पर्दे का प्रयोग हो रहा है ।

(vi) चलचित्र का नीचे वाला किनारा जो कि चलचित्र प्रदर्शन के पर्दे पर प्रदर्शित किया जाना है, दर्शक कक्ष की लम्बाई के अनुसार सीटों की प्रथम पंक्ति में दर्शक कक्ष की सतह से 1.675 मि0 मी0 से 2.130 मि0मी0 तक की ऊचांई तक होगा ।

(vii) (क) दर्शक-कक्ष की प्रत्येक पंक्ति "क" "ख" "ग" आदि विशिष्ट पहचान चिन्हों द्वारा संकेतिक की जायेगी तथा प्रत्येक पंक्ति की प्रत्येक सीट को क्रमांकित किया जायेगा । क्रमांक किसी प्रमुख स्थान पर अंकित किये जायेंगे ताकि सीट का आसानी से पता लगाया जा सके ।

(ख) लाइसैंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि बुकिंग क्लर्क द्वारा किसी भी चलचित्र प्रदर्शन के लिए जारी किये जाने वाले प्रत्येक टिकट में अलग सीट क्रमांक दिया गया है ।

टिकट खरीदने वाला टिकट पर दिये गये क्रमांक वाली सीट धारण करने का अधिकारी होगा । सीट का क्रमांक टिकट के उस भाग पर दिया जायेगा जो कि टिकट खरीदने वाले के पास रहेगा ताकि शंका की स्थिति में अथवा मांगने पर इसे निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जा सके।

26. **मार्ग.**—(i) भवन में निम्नानुसार कम से कम 1.115 मि0 मी0 चौड़ाई का मार्ग रखा जायेगा :—

(क) दर्शक-कक्ष की प्रत्येक दिशा में नीचे की ओर।

(ख) बैठने के स्थान के मध्य से नीचे की ओर 7.6 मीटर तक के अन्तर पर ।

(ग) बैठने के स्थान के समान्तर ताकि बहिर्गमन-द्वार तक सीधे तौर पर पहुंचा जा सके। शर्त यह है कि प्रत्येक 10 पंक्तियों के लिये एक से अधिक मार्ग नहीं होगा ।

(ii) सभी मार्ग, बहिर्गमन द्वार, मार्ग तथा पैर रखने के स्थान तथा सीढ़ियों के ऊपर की सतह निर्माण कोन फिसलने वाला रखा जायेगा ।

(iii) यदि मार्गों को दरियों, चटाइयों तथा फर्श आवरणों द्वारा ढका गया हो तो इन्हें फर्शों के साथ सुरक्षित ढंग से जोड़ा जायेगा ।

(iv) उप-नियम (vi) के उपबन्धों के अनुसार लगाये जाने वाले रस्सी के अवरोधों को छोड़ कर, बहिर्गमन मार्ग तथा बहिर्गमन द्वार तक जाने वाले मार्ग को किसी भी प्रकार के अवरोधों से रहित रखा जायेगा । प्रदर्शनी के दौरान मार्गों पर किसी भी अवस्था में न तो अतिरिक्त सीटें लगाई जायेगी और न ही दर्शकों को मार्ग में खड़े होने की आज्ञा दी जायेगी जिससे कि मार्ग में कोई रुकावट हो और उनकी चौड़ाई कम हो जाये ।

(v) यदि मार्ग अथवा रास्तों में सीढ़ियां बनानी हों तो यह किसी एक स्थान पर तीन सीढ़ियों से अधिक नहीं होनी चाहिये । पैर रखने के स्थान 380 मि0मी0 से कम चौड़े नहीं होने चाहिये तथा ये समान चौड़ाई तथा ऊंचाई के होंगे ।

(vi) मार्गों अथवा अन्य स्थानों पर रस्सी के रोक कल्पि अथवा गांठों से जोड़े जायेंगे जो मध्य में थोड़े से दबाव से अलग हो सकें तथा वह फर्श पर लटकें नहीं ।

(vii) वीथियों के मार्गों में जहां मार्गों का झुकाव 15° से अधिक हो इस प्रकार के निचले भाग में फर्श की सतह से कम से कम 1.065 मी0 ऊपर सुरक्षा पटड़ियों की व्यवस्था की जायेगी ।

27. **सीढ़ियां**.—(i) भवन की ऊपरवाली मंजिल अथवा कोई बीथी जिसका कि लोगों द्वारा प्रयोग किया जाना है उन तक पहुंचने के लिये कम से कम 1.200 मीटर चौड़ाई की दो सीढ़ियां होनी चाहियें ।

(ii) सीढ़ियों की प्रत्येक ऊंचाई पर पैर रखने के स्थान तथा खड़े पट्टे समान चौड़ाई तथा ऊंचाई के होंगे । पैर रखने के स्थान कम से कम 280 मि0 मी0 चौड़े तथा खड़े पट्टे अधिक से अधिक 175 मि0 मी0 ऊंचे होंगे ।

(iii) उसमें कोई वाइंडर (Winder) नहीं होंगे ।

(iv) सीढ़ियों की दोनों ओर लगातार जंगला लगा होगा ।

(v) कोई सीढ़ी बहिर्गमन द्वार, रास्ते या बरामदे की दिशा के सामने या उस पर नहीं होगी ।

28. **बहिर्गमन द्वार**.—(i) भवन के प्रत्येक सार्वजनिक भाग में पर्याप्त संख्या में बहिर्गमन द्वारों की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि वे दर्शकों को सुरक्षित एवं शीघ्रता से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध हो सकें ।

(ii) दर्शक-कक्ष में प्रत्येक पंक्ति, मंजिल अथवा बीथी में से प्रत्येक 100 व्यक्तियों के लिए अथवा उसके भाग के लिए कम से कम एक बहिर्गमन द्वार की व्यवस्था होगी :

शर्त यह है कि प्रत्येक ऊपरी मंजिल अथवा बीथी में ऐसे दो द्वारों से कम नहीं होंगे :

शर्त यह भी है कि मंचन या प्लेटफार्म पर या उस के रूप में बने बहिर्गमन द्वार इस नियम द्वारा अपेक्षित बहिर्गमन द्वार नहीं गिने जायेंगे ।

(iii) दर्शक कक्ष का प्रत्येक बहिर्गमन द्वार खुलने पर कम से कम 2.130 मी0 ऊंचा तथा 1.520 मी0 चौड़ा होगा ।

(iv) दर्शक-कक्ष में बहिर्गमन द्वारों का दोनों दिशाओं तथा उनके पीछे वाले भाग में उचित खुला स्थान रखा जायेगा तथा ये दो अथवा इस से अधिक आम रास्तों अथवा खुले स्थान पर खुलेंगे जहां से हर समय लोग शीघ्रता से इधर उधर आ जा सकें ।

(v) दर्शक-कक्ष से भवन के अन्तिम बहिर्गमन द्वार तक पहुंचाने वाले प्रत्येक मार्ग अथवा बरामदे की चौड़ाई इतनी होगी जो कि लाइसैंस प्राधिकारी की राय में आपात कालीन स्थिति में भवन छोड़ने के लिये प्रयोग करने वाले व्यक्ति को बिना किसी भीड़ के खतरे के अथवा जमाव के बिना प्रयोग कर सकें। कोई भी ऐसा मार्ग अथवा बरामदा किसी भी स्थान पर 1.520 मी0 की चौड़ाई से कम नहीं होगा तथा इस की चौड़ाई बहिर्गमन द्वार के अन्तिम स्थान की दिशा में कम नहीं होगी ।

(vi) भवन के बाहर निकलने के अन्तिम स्थानों की कुल चौड़ाई इतनी होगी कि भवन में बिठाये जाने वाले प्रत्येक 100 व्यक्तियों के भवन से बाहर जाने के लिये कम से कम 1.520 मी0 हो ।

(vii) सभी बहिर्गमन द्वार बाहर की ओर खुलेंगे तथा उन्हें इस प्रकार फिट किया जायेगा कि वे किसी भी मार्ग, रास्ते, बरामदे, सीढ़ी अथवा लैंडिंग (Landing) में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें ।

(viii) सभी बहिर्गमन द्वारों तथा उन सभी द्वारों जिन से लोगों को बाहर के खुले स्थानों तक पहुंचने के लिये गुजरना पड़ता है, को लोगों के भवन में रहते हुए पूरे समय के लिए बाहर जाने के लिये उपलब्ध कराना पड़ेगा तथा इस अवधि के दौरान इन में ताला अथवा चटखनी नहीं लगाई जायेगी ।

(ix) दर्शक-कक्ष के सभी बहिर्गमन द्वार तथा सभी दरवाजे अथवा प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़कर जो लोगों के भवन से बाहर जाने के उद्देश्य से बनाए गये हैं, पर बड़े अक्षरों में "बहिर्गमन द्वार" शब्द लिखा जायेगा जो कि कम से कम 175 मि0मी0 ऊंचे होंगे तथा उन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जायेगा कि वे प्रकाश तथा अन्धेरे दोनों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हों ।

(x) अन्य सभी दरवाजों तथा प्रवेश द्वारों का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि वे बहिर्गमन द्वारों से स्पष्टतः भिन्न लगें । उन पर "यह रास्ता आम नहीं है" शब्दों द्वारा नीचे दिये गये ढंग से इंगित किया जा सकता है परन्तु भवन के किसी भी भाग में "बाहर जाने का रास्ता नहीं" शब्दों की सूचना नहीं लगाई जायेगी । "(यह रास्ता आम नहीं है)" ।

29. **भुगतान कक्ष, नियन्त्रण कक्ष आदि**.—भुगतान कक्षों, नियन्त्रण कक्षों एवं परिसरों के बैठने के स्थानों को भवन में इस प्रकार निश्चित किया जायेगा कि वे बाहर जाने के रास्ते में बाधक न हों। कोई शीशा, चित्र, सूचनाएं अथवा विज्ञापनों को दीवार के साथ इस प्रकार लगाया अथवा लटकाया जायेगा, कि वे बाहर के रास्ते में बाधक न हों। उन्हें दीवार के साथ सीधा लगाया जायेगा अथवा उन्हें फर्श के ऊपर सिर तक की ऊंचाई से ऊपर अर्थात् 2.130 मी0 की ऊंचाई पर रखा जायेगा ।

30. **सामान रखने को स्थान**.—(i) भवन के बरामदों, मार्गों तथा सीढ़ियों में टोप तथा कपड़े लटकाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी ।

(ii) जहां समान रखने के कमरों की व्यवस्था की गई हो वे ऐसे स्थानों पर होनी चाहिये जिससे कि उन्हें प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों के कारण बहिर्गमन द्वार के प्रयोग में बाधा उत्पन्न न हों ।

31. **वायु संचार**.—(i) भवन में खुली वायु से वायु संचार के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(ii) जब तक कि दर्शक-कक्ष बातानुकूल न हो वायु संचार प्राकृतिक अथवा बिजली से चलने वाले वायु निष्कासन पंखों द्वारा किया जायेगा जो कि उपयुक्त आकार तथा स्थिति में वांछित प्रयोजन के अनुसार होंगे ।

(iii) जहां वायु संचार की व्यवस्था खिड़कियों, झरोखों आदि के माध्यम से की गई हो जिन्हें अन्धकारमय एवं धुन्धला करना पड़ता हो वहां ऊंचे अथवा छत के रोशनदानों द्वारा स्थाई वायु संचारण की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे रोशनदानों का स्पष्ट आकार वहां पर बैठने वाले प्रत्येक 10 व्यक्तियों के हिसाब से कम से कम 30 वर्ग सें0 मी0 होगा।

(iv) दो चलचित्र प्रदर्शनों के बीच कम से कम 20 मिनट का अन्तर होना चाहिये । प्रत्येक चलचित्र प्रदर्शन में कम से कम 10 मिनट का मध्यान्तर होगा। दो प्रदर्शनों के बीच के अन्तर तथा मध्यान्तर के समय सभी दरवाजे तथा रोशनदान खुले रखे जायेंगे तथा सभी निष्कासन एवं अन्य पंखों की पूरी गति पर चलाया जायेगा ताकि पूरा दर्शक-कक्ष वायु से परिपूर्ण हो जाए ।

32. **स्वच्छता की व्यवस्था.**—(i) भवन तथा अहाता, यदि कोई हो, को नाली, शौचालय अथवा अन्य गन्दे स्थानों से आने वाली दुर्गन्ध से मुक्त रखा जायेगा ।

(ii) पुरुषों तथा महिलाओं के लिये अलग अलग शौचालयों तथा मूत्रालयों की व्यवस्था की जायेंगी । शौचालयों को प्रत्येक प्रदर्शनी से पूर्व तथा पश्चात् तुरन्त साफ अथवा स्वच्छ किया जायेगा तथा इन्हें दिन में कम से कम दो बार फिनायल अथवा अन्य साफ करने वाले द्रव्य से धोया जायेगा।

33. **गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था.**—(i) भवन के निकट मोटर कार तथा अन्य वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था वैसे ही की जायेगी जैसे कि लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ।

(ii) किसी वाहन को इस प्रकार खड़ा नहीं किया जायेगा अथवा खड़े करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिस से कि आग अथवा आतंक की स्थिति में भवन में बिठाये जाने वाले व्यक्तियों को शीघ्रता से बाहर निकालने में बहिर्गमन द्वार को अवरुद्ध करें या बाधा उत्पन्न करें ।

34. **आग से बचने के लिए सावधानियां.**—(i) भवन के स्वरूप तथा ढांचे के अनुसार लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किस्म तथा क्षमता के अग्नि शामक यन्त्रों की व्यवस्था, लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा जैसा निर्धारित हो के अनुसार की जाएगी । इन यन्त्रों को उसकी सन्तुष्टि के अनुसार ऐसे स्थानों पर रखा जायेगा जहां से उन्हें भवन के किसी भाग में आग लगने की स्थिति में आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके ।

(ii) वन्द कक्ष में आग से बचाव के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिये तथा इनमें गीला कम्बल, सुवाह्य रासायनिक अग्निशामक यन्त्र तथा सूखे रेत की दो बालटियां शामिल हैं।

(iii) सभी अग्नि शामक यन्त्र हर समय ठीक हालत तथा तत्काल प्रयोग के लिये उपलब्ध होंगे तथा सभी रासायनिक अग्नि शामक यन्त्र कम से कम 113 कि0 ग्राम प्रति 6.4 वर्ग सैं0 मी0 के हिसाब से दबाव की क्षमता के होने चाहिये ।

(iv) प्रदर्शन के समय सभी अग्नि शामक-यन्त्र, विशेष रूप से इस कार्य के लिए नियत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रभार में रहेंगे । ऐसे व्यक्तियों को इस कार्य के लिये पूर्ण रूप से नियोजित करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उन्हें प्रदर्शन के समय कोई ऐसा अन्य कार्य नहीं दिया जायेगा जिसके लिये उन्हें भवन से बाहर जाना पड़े अथवा खतरे या अग्नि के अलार्म के समय तुरन्त उपलब्ध न हो सकें ।

(v) भवन के कुशल विद्युत्त संवाहक की व्यवस्था होगी ।

बाद कक्ष, चलचित्र यन्त्र, प्रकाश इत्यादि

35. **बन्द कक्ष.**—चलचित्र उपकरण ठोस निर्माण के बन्द कक्ष में रखा जायेगा जिसका परिमाप ऐसा होगा कि जब चलचित्र प्रदर्शनी उपकरण तथा अन्य आवश्यक साज-सामान उसमें स्थापित किया जाये तो उसमें प्रचालक अथवा प्रचालकों को स्वतन्त्रता से काम करने के लिए पर्याप्त स्थान रह जाए ।

36. (i) बन्द कक्ष दर्शक-कक्ष से बाहर बनाया जाएगा ।

(ii) यह पूरी तरह से स्वतः पूर्ण होगा तथा इसमें केवल चलचित्र प्रदर्शनी उपकरण, अग्नि शमन यन्त्र तथा ऐसे नियन्त्रण उपकरण रखे जायेंगे जो इसमें रखे जाने अत्यन्त आवश्यक हों ।

37. बन्द कक्ष का केवल एक प्रवेश द्वार होगा जिसका उस भवन के किसी भाग से सम्पर्क नहीं होगा जिसमें जनता की पहुंच हो ।

38. बन्द कक्ष तथा उसके द्वार को आच्छादित करने वाले कोई साज-सामान अग्नि-प्रतिरोधी सामग्री के बनाए जायेंगे ।

39. बन्द कक्ष में वायुसन्चार के उचित तथा पर्याप्त साधन ऐसे ढंग से रखे जायेंगे कि इसका भवन के किसी उस भाग से कोई सम्पर्क नहीं हो जिसमें ऐसे वायुसंचार के साधनों के माध्यम के द्वारा जनता को अन्दर प्रविष्ट किया जाता हो ।

40. बन्द कक्ष के सामने द्वारों की संख्या दो प्रक्षेपण द्वारों, जो प्रत्येक क्षेत्र में 232 वर्ग सैं0मी0 से अधिक नहीं तथा प्रत्येक चलचित्र प्रदर्शनी उपकरण अथवा प्रक्षेपक के लिये एक निरीक्षण द्वार जो क्षेत्रफल में 32 वर्ग सैं0मी0 से अधिक नहीं होगा, ऐसे सभी द्वारा इस प्रकार संचालित पदों से सज्जित होंगे कि केवल एक प्रक्षेपण द्वार यथा एक निरीक्षण द्वारा किसी एक समय खुले रह सकते हों तथा सभी द्वार बन्द कक्ष के भीतर तथा बाहर दोनों ओर से ही सुविधाजनक स्थानों से अपने आप बन्द हो सकते हों ।

41. कोई भी अतुल्यकालिक (Non-synchronous) मशीन लाइसैंस प्राधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना बन्द कक्ष में नहीं रखी जायेगी अथवा बन्द कक्ष से प्रचलित नहीं की जायेगी ।

42. लाइसैंसधारी द्वारा नियोजित योग्यता प्राप्त प्रचालक तथा विद्युत्त निरीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र का धारक अथवा नियम 89 के अधीन लाइसैंसधारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रशिक्षू के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को चलचित्र की प्रदर्शनी के समय बन्द कक्ष में प्रवेश करने अथवा बन्द कक्ष में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

43. जहां पर किसी प्रबन्धक अथवा किसी स्वामी के पास प्रचालक का प्रमाणपत्र हो तो एक दूसरा योग्यता प्राप्त प्रचालक अवश्य नियुक्त करना होगा जो चलचित्र प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान बन्द कक्ष में ड्यूटी पर रहेगा ।

44. कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अनावश्यक रूप में बन्द कक्ष में नहीं लाया जाएगा अथवा उसमें नहीं रहने दिया जाएगा, बन्द कक्ष के भीतर किसी समय भी धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी, तथा उसमें कोई खुली बत्ती भी प्रयुक्त नहीं की जायेगी ।

45. **प्रक्षेपक, उपकरण, तथा फिल्में.**—चलचित्र प्रदर्शनी प्रक्षेपक अग्नि-प्रतिरोधी सामग्री से निर्मित ठोस आधारों पर रखे जाएंगे तथा इनमें धातु शटर की व्यवस्था की जायेगी जिसे आसानी से

रोशनी के स्रोत और फिल्म द्वार के बीच रखा जा सके । इस शटर को चलचित्र प्रदर्शनी उपकरण में अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अथवा फिल्म के रुकने की स्थिति में तत्काल गिरा दिया जाएगा तथा इसे केवल तभी ऊपर उठाया जाएगा जब प्रक्षेपण के प्रयोजन के लिये फिल्म चल रही हो ।

46. फिल्म द्वार ठोस निर्माण का होगा तथा इसमें ऊष्मा-विकिरणकारी सतह की व्यवस्था की जायेगी, फिल्म के लिये रास्ता प्रकाश द्वार से ऊपर अथवा नीचे की ओर प्रगामी चमक को रोकने के लिये पर्याप्त तंग होगा ।

47. चलचित्र प्रदर्शनी प्रक्षेकों के साथ दो ठोस निर्माण फिल्म बक्से होंगे जहां को तथा जहां से फिल्मों को चलाया जायेगा । फिल्म वाक्स ऐसे ढंग से बन्द किये जाएंगे तथा इस प्रकार के निर्मित फिल्म छिद्रों के साथ जोड़े जायेंगे जो बाक्स के भीतर रास्ते को अथवा चमक को रोक सकें ।

48. फिल्म की चरखियां अग्निप्रतिरोधी सामग्री के बने चेन, गियर अथवा वेल्ट से चलाई जायेंगी तथा फिल्में उस पर लपेटी जायेंगी ताकि लपेटी हुई फिल्म किसी समय भी फिल्म की चरखी के कोर के किनारों से परे न पहुंचे अथवा प्रक्षेपित न हो ।

49. फिल्मों को पुनः लपेटने का कार्य बन्द कक्ष में उस समय नहीं किया जाएगा जब चलचित्र की प्रदर्शनी चल रही हो ।

50. चलचित्र प्रदर्शनी के दौरान जो फिल्में प्रयोग में न हों सभी को धातु के बाक्सों में बन्द रखा जायेगा ।

51. 90 कि0 ग्राम से अधिक ज्वलनशील चलचित्र प्रदर्शनी फिल्में उस परिसर में नहीं रखी जायेंगी जिससे यह लाइसैंस सम्बन्धित है, जब तक कि भारत में विस्फोटकों के मुख्य निरीक्षक से एक विशिष्ट लाइसैंस न प्राप्त कर लिया गया हो जैसा कि चलचित्र प्रदर्शनी फिल्म नियम, 1948 द्वारा अपेक्षित है ।

52. लपेटन कक्ष (Winding Room) (1) फ्रिल्मों को पुनः लपेटने के लिये एक अलग कक्ष की व्यवस्था की जायेगी जो अग्नि प्रतिरोधी सामग्री से निर्मित किया जायेगा ;

(2) लपेटन कक्ष में सभी साज-सामान तथा उपस्कर अग्नि-प्रतरोधी सामग्री से निर्मित किए जायेंगे तथा प्रवेश द्वारा में तंग फिटिंग के अपने आप बन्द होने वाले दरवाजे की व्यवस्था होगी तथा इसका बन्द कक्ष, दर्शक कक्ष अथवा भवन के किसी भाग से सम्पर्क नहीं होगा जिसमें से जनता को प्रविष्ट किया जाता है ।

53. रोशनी तथा बिजली का संस्थापन.—विद्युत्त प्रकाश के अतिरिक्त भवन में कोई अन्य प्रकाश स्रोत प्रयुक्त नहीं किया जायेगा ।

54. (i) दर्शक कक्ष उसमें बाहर की ओर के बहिर्गमन द्वारों तथा किसी रास्ते, कौरीडोर, (Landing) तथा सीढ़ियों सहित बहिर्गमन द्वारों की स्थिति को दर्शाने वाले नोटिसों तथा भवन के सभी भागों जिन में से जनता प्रविष्ट होती है, के लिये प्रर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी ।

(ii) उस सारे समय के दौरान जब जनता दर्शक कक्ष में उपस्थिति हो तो दर्शक कक्ष के प्रकार से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये पर्याप्त रूप से रोशनी की व्यवस्था होगी ताकि जनता को बाहर जाने के रास्ते स्पष्ट दिखाई दें ।

55. दर्शक कक्ष में चलचित्र प्रदर्शनी के लिये लाईसैंस प्राप्त भवन या स्थान में दो अलग-अलग तथा स्वतन्त्र विद्युत्त के स्रोतों मे से लिए गए दो स्वतन्त्र प्रकाश सर्कटों की व्यवस्था की

जायेगी । एक सर्कट (इसके पश्चात् सामान्य प्रकाश सर्कट के रूप में उल्लिखित) जो बन्द कक्ष में प्रविष्ट नहीं होना चाहिये उसमें सभी बहिर्गमन के चिन्ह तथा भवन के सभी मार्गों की रौशनी जहां से जनता प्रविष्ट की जाती है सम्मिलित हो सकती है तथा वह भवन में विद्युत्त प्रदाय के मुख्य सोर्स से जुड़ा होगा, तथा दूसरा सर्कट (इसके पश्चात् आपात्कालीं प्रकाश सर्कट के रूप में उल्लिखित) पूर्ण रूप से दर्शक कक्ष के प्रकाश के लिये प्रयुक्त किया जायेगा तथा वह बन्द कक्ष के भीतर सुविधा-जनक स्थान से नियन्त्रित किया जायेगा तथा वह विद्युत्त प्रदाय के दूसरे स्वतन्त्र स्रोत से जुड़ा होगा, जो उससे भिन्न होगा तथा जो सामान्य प्रकाश सर्कट के लिए प्रयुक्त किया जाता हो, प्रत्येक चलचित्र प्रदर्शनी के प्रारम्भ होने से पहले प्रचालक द्वारा यह पता लगा लिया जायेगा कि आपात्काल सर्कट के लिये प्रदान किया गया विद्युत्त प्रदाय का स्वतन्त्र स्रोत सन्तोषजनक स्थिति में है तथा आपातकाल की स्थिति में तत्काल प्रयोग के लिये उससे विद्युत्त प्रदाय उपलब्ध

56. (i) आपात्कालीन प्रकाश सर्कट कम से कम तीन लैम्पों को विद्युत प्रदान करेगा जो इस तरह व्यवस्थित होंगे कि जिससे एक मात्र दोष सभी लैम्पों को न बुझा सके ।

(ii) बन्द कक्ष के भीतर तथा बाहर दोनों से ही आपातकाली प्रकाश सर्कट के लिये द्वि-दिवसीय नियन्त्रण अपनाया जा सकता है बशर्ते कि बन्द कक्ष के बाहर से नियन्त्रण उपयुक्त रूप से इंगित किया गया हो और उसे उसी बोर्ड पर न रखा जाए जिस पर सामान्य रोशनी सर्कटों के कोई सकंट हो तथा ऐसी स्थिति में रखा जाए कि जिसे सिनेमा स्टाफ के सदस्य द्वारा तत्परता से प्रयोग किया जा सके परन्तु जनता की पहुंच से बाहर हो ।

57. (i) चलचित्र प्रदर्शनी लैम्पों के विद्युत प्रदाय के लिए एक अलग तथा भिन्न सर्कट की व्यवस्था की जाएगी । ऐसा सर्कट नियम 59 के अनुसरण में अपेक्षित एक उपयुक्त मुख्य स्विच तथा फियूज द्वारा नियन्त्रित होगा, तथा प्रत्येक लैम्प के लिए इसके अतिरिक्त एक डबल पोल, आइरन क्लैड स्विच तथा फयूज से पूर्णतया संलग्न बन्दकक्ष के भीतर एक सुविधाजनक स्थान में रखा जायेगा ।

(ii) जब चलचित्र प्रदर्शनी लैम्प कार्य कर रहा हो तो डबलपोल स्विच के अंत पर विद्युत का दबाव 110 वोल्टों से अधिक नहीं होगा ।

58. पंखों को विद्युत प्रदाय के लिए एक अलग तथा भिन्न सर्कट की व्यवस्था की जाएगी ।

59. (i) सामान्य आपातकाल, प्रक्षेपक तथा बन्द कक्ष सर्कटों तथा सभी पंखों के सर्कटों के लिए भवन में विद्युत प्रदाय के साधन के लिये, जहां तक सम्भव हो सके, अलग मुख्य स्विच तथा मुख्य कट-आउटों की व्यवस्था की जाएगी बशत कि आपातकाल प्रकाश के मुख्य स्विच तथा कट आउटों को उपयुक्त रूप से दर्शाया जाए तथा उन्हें उसी बोर्ड पर किसी अन्य नियन्त्र की भांति नहीं लगाया जाए ।

(ii) सभी मुख्य स्विच, मीटर तथा भवन में विद्युत प्रदाय के स्रोत के समीप संस्थापित अन्य विद्युत के उपकरण जो पूर्णतया इसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाएं एक अलग बन्द कक्ष में, जो जनता की पहुंच से बाहर हों में रखा जाएगा ।

60. इन नियमों में विशिष्ट उपबन्धों के सिवाय बिजली का संस्थापन ऐसे विनिदर्शनों के अनुसार होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धा-रित किया जाये ।

61. (i) बन्द कक्ष के भीतर तथा आपातकाल प्रकाश सर्कट के लिए तारें कसी हुई नली में होंगी परन्तु जहां पर लचीली तारें आवश्यक हों उनका लचीला भाग या तो इस्पात के कवच का होगा अथवा उपयुक्त लचीली धातु के इस्पात टयुबिंग में बन्द होगी ।

(ii) बन्द कक्ष के भीतर कोई अनावश्यक शिथिल विद्युत तार (कैबल) नहीं होंगे तथा सभी केवल लीक (Runs) यथा सम्भव छोटे तथा सीधे होंगे ।

62. बन्द कक्ष में सभी स्विच, कट-आउट, प्रतिरोधी, रोशनी, पंखे तथा अन्य सभी विद्युत के उपकरण अग्नि प्रतिरोधी सामग्री से बने आधार पर रखे जाएंगे तथा जहां व्यवहार्य हो, इनमें सभी जलने वाले भागों को बन्द करने वाले शक्तिशाली धातु के कवर होंगे । स्विच कवर इस ढंग से व्यवस्थित किए जाएंगे कि वे तब तक नहीं खोले जा सकें जब तक कि स्विच "आफ" स्थिति में न हो ।

63. विद्युत प्रदाय लाईनों को सहारा देने वाला अथवा रक्षित करने वाला धातु का सभी कार्य भूमि में दो अलग तथा भिन्न सम्पर्कों द्वारा पर्याप्त रूप से अर्थ (Earth) किया जाएगा । भूमि के साथ कनैक्शन का प्रतिरोध एक ओम (Ohm) से अधिक नहीं देगा तथा सभी अर्थिंग लीड (Earthing Lead) इस प्रकार होंगे कि प्रत्येक की दिशा जल्दी ही ढूंढी जा सके । जहां पर आर्थिंग लीड दीवारों में से जाते हैं अथवा फर्शों के अन्दर रखे जाते हैं उनको उचित ढंग से सुरक्षित रखा जाएगा ।

64. प्रतिरोधक पूर्णतया अग्नि-प्रतिरोधी सामग्री के बनाए जाएंगे तथा उनका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा तथा इस अवस्था में रखे जाएंगे कि कोई भी कायल (Coil) अथवा अन्य भाग किसी समय भी अनुचित रूप से इतना गर्म न हो जाए अर्थात् वे इतने गर्म नहीं हों कि प्रतिरोधक के किसी भाग के साथ सम्पर्क में रखा गया कोई कागज का टुकड़ा तत्काल जल जाए । विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिरोधक के सिवाये सभी प्रतिरोधक बन्द कक्ष के बाहर तथा भवन के उस भाग में रखे जाएंगे जिसमें जनता को प्रविष्ट नहीं किया जाता है ।

65. उन सभी लटकती हुई फिटिंग अथवा उपकरण, छोटे एक-एक लैम्प वाले लटकनों को छोड़ कर जो उस भवन के फर्श के स्तर से जहां से जनता प्रविष्ट की जाती है, 3040 मि0 मी0 से कम ऊंचाई पर फिट किए गए हों तो उनके लिये चालकों (Conductors) से अलग सन्तोषजनक साधनों की व्यवस्था की जाएगी ।

66. विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए अथवा शीतन के प्रयोजनों के लिए संयंत्र, तेल इन्जिन अथवा अन्य आदि-प्रवर्तक (प्राईम मूवर) मुख्य सर्कट परिणामित्र (ट्रांस्फार्मर), परिवर्तित (कन्वर्टर) अथवा परिशोधक (रैक्टिफायर) ऐसे कक्ष अथवा कक्षों में रखें जाएंगे जिसका निर्माण तथा स्थिति लाइसैंस प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होंगी ।

67. विद्युत संचालकों को, जब तक उन्हें विशिष्ट रूप से आरक्षित कमरों अथवा कक्षों में संस्थापित नहीं किया जाता, उन्हें–विद्युतरोधी तथा अग्नि प्रतिरोधी सामग्री के निर्मित अथवा उससे बने अस्तर के ठोस खोलों में पूरी तरह से बन्द किया जाएगा, विद्युत घटकों में अथवा सैन्यूलायड के धारकों में संचायकों को संस्थापित, भंडारित अथवा प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

68. विद्युत तापक यन्त्र अथवा रैडियेटर भवन के किसी उस भाग में प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे जहां से जनता प्रविष्ट होती है परन्तु लाइसैंस प्राधिकारी की सहमति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसे वह निर्धारित करें, ऐसा किया जा सकेगा ।

69. विद्युत संस्थापन के सभी सर्कटों तथा उप-सर्कटों के प्रबन्ध वितरण बोर्डों की स्थिति तथा कैबल के आकार को स्पष्टतया से निर्देशित करने वाला फ्रेम में लगा खाका अथवा, अनुसूची, भवन में प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसे अद्यतन) (up-to-date) रखा जाएगा ।

70. विद्युत संस्थान उस सारे समय के दौरान जब तक जनता भवन में हो, एक संक्षम इलैक-ट्रिशियन के प्रभार में होगा ।

71. चलचित्र प्रदर्शनी के दौरान भवन में नियुक्त स्टाफ के सभी सदस्य तथा परिचारिक रोशनी के बंद हो जाने की स्थिति में संकटकाल के प्रयोग के लिए अपने पास विद्युत टार्चें रखेंगे ।

भाग- IV

अस्थायी रूप से लाइसैंस प्राप्त स्थानों में परिभ्रमण चलचित्र द्वारा प्रदर्शनों के लिए विशेष नियम

72. इस भाग के नियम अस्थायी रूप से लाइसैंस प्राप्त स्थानों में परिभ्रमण चलचित्र प्रदर्शनों के लिए लागू होंगे ।

73. जिस दिन प्रदर्शनी हो उससे एक वर्ष के समय के अन्दर का विद्युत निरीक्षक द्वारा चलचित्र प्रदर्शनों के उपकरण के प्रयोग के लिये यह प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि यह उपकरण बिना किसी जन-खतरे के प्रयोग हो सकते हैं :

परन्तु चलचित्र उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलने की अवस्था, में, तब तक प्रदर्शनी नहीं होगी जब तक चलचित्र उपकरणों तथा विद्युत संस्थापन को नये स्थान पर विद्युत निरीक्षक द्वारा पुनरिक्षित न किये जाये और यह प्रमाणित न किया जाये कि वह प्रचलित भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार है ।

74. (i) परिभ्रमणकारी चलचित्र प्रदर्शन के उपकरण जो जनता के लिये प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे विद्युत निरीक्षक के पास वार्षिक निरीक्षण के लिए उस कस्बे में लाए जाएंगे जहां पर विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन लाइसैंस प्रदान किया गया है ।

(ii) यदि ऐसे निरीक्षण के पश्चात् विद्युत निरीक्षक संतुष्ट हो कि परिभ्रमण चलचित्र प्रदर्शन उपकरण जनता के लिए बिना संकट के प्रयोजय है तो वह इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

75. चलचित्र प्रदर्शन उपकरण अग्निसह बन्दकक्ष में रखे जाएंगे :

बशर्ते कि यदि चलचित्र प्रदर्शन उपकरण विद्युत निरीक्षक द्वारा निरापद प्रकार के परिभ्रमण चलचित्र प्रदर्शन के रूप में प्रमाणित किया जाता है तो अग्निसह बन्दकक्ष प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु 1.820 मी0 पृथक स्थान (इसके पश्चात् "आरक्षित स्थान" के रूप में उल्लिखित) चलचित्र प्रदर्शन उपकरण के इर्द गिर्द घेरे के रूप में लगाया जाएगा ।

76. ज्वलनशील अथवा चलनशील स्वरूप की सामग्री से निर्मित अथवा इसके साथ आच्छा-दित तम्बू अथवा मण्डप अथवा किसी आश्रयस्थल अथवा संरचना में दिए गए प्रदर्शनों की स्थिति में, चलचित्र प्रदर्शनी उपकरण ऐसे तम्बू, मण्डप आश्रयस्थल अथवा संरचना के बाहर से संचालित किए जाएंगे तथा नियम 75 के उपबन्धों के अनुसार उससे कम के कम 1.820 मी0 की दूरी पर रखे जाएंगे ।

77. लाइसैंसधारी द्वारा नियोजित तथा विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र का धारक अथवा नियम 89 के अधीन लाइसैन्सधारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी प्रशिक्षु के

अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को चलचित्र प्रदर्शनी के दौरान बन्द कक्ष अथवा "आरक्षित स्थान" में प्रवेश करने या वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

78. बन्दकक्ष में अथवा "आरक्षित स्थान" में किसी ज्वलनशील वस्तु को अनावश्यक तौर पर ले जाने अथवा उसमें रहने देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसमें धूम्रपान करने की अनुमति दी जाएगी, और तथा उसमें कोई खुली बत्ती भी प्रयुक्त नहीं की जाएगी ।

79. कोई पर्दा तथा अनारक्षित ज्वलनशील सामग्री सिवाय उस सामग्री के जिससे फर्श निर्मित होता हो, चलचित्र प्रदर्शनी उपकरण के 1.820 मी0 के अन्दर नहीं रखी जाएगी ।

80. निम्नलिखित अग्निशमन यन्त्रों अर्थात एक रेत की बाल्टी, पानी की दो बाल्टियां, एक गीला कम्बल तथा लाइसैन्स प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रतिमान, दर्जे तथा क्षमता का वहनीय रसायनिक अग्निशमक तथा ऐसे अन्य यन्त्र जो लाइसैन्स प्राधिकारी निर्धारित करे, की व्यवस्था की जाएगी, वे इस तरह से व्यवस्थित किए जाएगे कि बन्दकक्ष के भीतर आग लगने की स्थिति में प्रयोग के लिए तत्काल उपलब्ध हो सकें ।

81. सभी फिल्में जो प्रयोग में न हों वे सुरक्षा से बन्द किए गए अग्नि-शमन प्रतिरोधी पात्रों में रखी जाएंगी ।

82. बहिर्गमन के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी जैसे कि लाइसैन्स प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

83. पूर्ववर्ती नियम की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चलचित्र प्रदर्शनी के प्रयोजन के लिए कोई तम्बू, मण्डप अथवा इसी प्रकार की संरचना प्रयुक्त नहीं की जाएगी यदि यह दीवार अथवा दीवारों के साथ बन्द हो जो बाहर जाने (Egress) के पर्याप्त साधनों की अनुमति नहीं देते तथा जो ऐसे तम्बू, मण्डप अथवा इसी तरह की संरचना के 9.145 मी0 के भीतर निर्मित किए गये हों ।

84. बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि बहिर्गमन द्वारों तक पहुंचने में कोई रुकावट न हो तथा बहिर्गमन द्वार और रास्ते दोनों ही तथा उन तक जाने वाले गलियारे प्रदर्शन के पूरे समय में सभी अवरोधों से मुक्त रखे जाएंगे ।

84क. परिभ्रमणकारी चलचित्र प्रदर्शनों के द्वारा प्रदर्शनियों के लिए अस्थायी रूप से लाइसैंस प्राप्त स्थान-निम्नलिखित स्थानों से 200 मी0 के घेरे के भीतर नहीं होगा:—

(i) धार्मिक स्थान, शमशान भूमि, कब्रिस्तान, शवभूमि, अथवा

(ii) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था जैसे कालेज, हाई स्कूल अथवा कन्या पाठशाला अथवा ऐसी शिक्षण संस्था से सम्बद्ध कोई आवासीय संस्था, अथवा

(iii) अधिक संख्या वाले रोगी कक्ष वाला सार्वजनिक हस्पताल, अथवा

(iv) एक सौ अथवा इससे अधिक सहवासियों वाला कोई अनाथाश्रम, अथवा

(v) घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र जो या तो पूर्णतया आवासीय हो अथवा इसके लिये आरक्षित हो अथवा सामान्यत: आवसीय प्रयोजनों के लिए जोकि व्यावसायिक प्रयोजनों से भिन्न हो, प्रयुक्त किया जाना हो, तथा

(vi) किसी भी रूप में यातायात नियमों का उल्लंघन न होता हो ।

भाग-V

प्रचालक तथा प्रशिक्षु

85. (i) चलचित्र प्रदर्शनी के दौरान बन्द कक्ष कम से कम 18 वर्ष की आयु के योग्यता प्राप्त ऐसे प्रचालक के प्रभार में होगा जिसके पास विद्युत निरीक्षक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र हो कि वह चलचित्र प्रदर्शन को संभालने तथा प्रचालन करने में सक्षम है ।

(ii) किसी प्रचालक को तब तक प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा—

(क) जब तक कि वह चलचित्र प्रदर्शन मशीनों का कार्यसाधन ज्ञान तथा उस मशीन का तकनीकी ज्ञान न रखता हो जिस के प्रचालन के लिए वह उस समय नियुक्त है,

(ख) चलचित्र प्रदर्शन की प्रदर्शनियों से सम्बन्धित नियमों तथा आग के प्रति सावधानियों से पूर्णतया परिचित न हों,

(ग) अग्निशमन सम्बन्धी अतिदुतगामी तथा प्रभावशाली साधनों से परिचित न हो,

(घ) विद्युत शक्ति के तत्वों, सीधे तथा प्रत्यावर्ती करंट, वोल्टेज, एम्पियरज इत्यादि का उचित ज्ञान न रखता हो, तथा

(ङ) फिल्मों के सम्भालने, लपेटने, मुरम्मत करने तथा कुशलता से सफाई करने में निपुण न हो,

(iii) विद्युत निरीक्षक लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करके उस के द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को वापस ले सकता है ।

(iv) प्रमाणपत्र के देने तथा वापस लेने के सम्बन्ध में विद्युत निरीक्षक लाइसैन्स प्राधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन काम करेगा ।

(v) प्रमाणपत्र देने की फीस पांच रुपये होगी परन्तु दूसरी प्रति 2 रु0 के भुगतान पर दी जा सकती है ।

86. उस सारे समय में जब प्रदर्शनी चल रही हो प्रचालक प्रभारी बन्द कक्ष में उपस्थित रहेगा तथा वह अपना पूरा ध्यान उस सारे समय के दौरान चलचित्र प्रदर्शन की ओर देगा, वह यह भी देखेगा कि नियम 90 तथा नियम 42, 44, 49 अथवा 77, 78, 79 जैसी भी स्थिति हो के उपबन्धों का दृढ़ता से पालन किया जा रहा है ।

87. (i) किसी चलचित्र प्रदर्शनी के प्रारम्भ होने से पहले प्रचालक प्रभारी इस सम्बन्ध में अपने आप को सन्तुष्ट करेगा कि सभी केबल, लीड, कनैक्शन तथा प्रतिरोधक तथा साथ ही बन्द कक्ष में अग्निशमक यन्त्र ठीक कार्य करने की स्थिति में है ।

(ii) प्रतिरोधक यदि निरन्तर अवलोकित न किए जाते हों तो उन्हें प्रत्येक प्रदर्शन के दौरान कम से कम एक बार निरीक्षित किया जाएगा, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो करन्ट को तत्काल बन्द कर दिया जाएगा तथा वह तब तक बन्द रहेगी जब तक कि त्रुटि को दूर नहीं कर दिया जाता ।

88. प्रचालक प्रभारी फिल्म को मशीन से 30 मी0 प्रति मिनट से अधिक की गति पर नहीं चलने देगा ।

89. लाइसेन्सधारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रशिक्षु को बन्द कक्ष के भीतर जाने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसा प्रशिक्षु 16 वर्ष की आयु से कम नहीं होगा तथा उसे प्रभारी प्रचालक की उपस्थिति के अतिरिक्त चलचित्र प्रदर्शन प्रचलित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

90. कोई भी व्यक्ति शराब अथवा अन्य मादक नशे में होते हुए चलचित्र प्रदर्शन प्रचलित नहीं करेगा अथवा बन्द कक्ष के भीतर नहीं जाएगा ।

91. प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अधिनियम की धारा 5 के अधीन लाइसैन्स हो, लाइसैन्स प्राधिकारी को नियोजित प्रचालकों की सूची प्रस्तुत करेगा तथा जब कभी वह कोई प्रचालक नियुक्त करता है तो उसे काम प्रारम्भ करने की अनुमति देने से पहले वह लाइसैन्स प्राधिकारी तथा विद्युत निरीक्षक को उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करेगा ।

91-क. हिमाचल प्रदेश चलचित्र नियम, 1955 जो 1-11-1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लागू है तथा पंजाब चलचित्र (विनियम) नियम, 1952 जो पंजाब पुनर्गठन के परिणाम-स्वरूप 1.11.1966 के बाद हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए क्षेत्रों में लागू है, निरस्त किये जाते हैं ।

भाग-VI

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अपील

92. लाइसैन्स प्राधिकारी के निर्णय की सूचना मिलने के 30 दिनों के अन्दर इस निर्णय से निराश व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार को सामान्य प्रशासन विभाग में अपनी अपील दायर करेगा ।

भाग-VII

विविध शर्तें

93. लाइसैन्सधारी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियमों का अनुपालन करेगा ।

94. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन समय-समय पर जारी किए गए ऐसे निर्देशों और पूर्ववर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तें के अतिरिक्त लाइसैन्सधारी, चाहे तीन वर्ष की अवधि का हो अथवा अस्थायी एतदधीन दी गई शर्तों के अध्यधीन होगा :—

(i) चलचित्र प्रदर्शनी के लिए सहायक के रूप में कोई आतिशबाजी प्रयुक्त नहीं की जाएगी,

(ii) सिवाए उसके जिसकी लाइसैन्स प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा आज्ञा दें कोई भी लाउडस्पीकर, ग्रामोफोन, बैंड, ड्रम, बेल, हार्न, विसिल, साईरन अथवा किसी भी प्रकार का संगीत उपकरण का प्रयोग लाइसैन्स प्राप्त स्थान के अन्दर या बाहर विज्ञापन के लिए या व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही कोई ऐसा ढंग अपनाया जाएगा जो लाइसैन्स प्राप्त स्थान के बाहर व्यक्तियों को मनोरंजन प्रदान करता हो,

(iii) किसी भी फिल्म का कोई भी इश्तहार, विज्ञापन, रेखाचित्र, रूपरेखा, कार्यक्रम लाइसैन्स प्राप्त स्थान के अन्दर या बाहर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और न ही बेचा या वितरित किया जाएगा जो कि नैतिकता के लिए हानिकारक हो, अपराध को उत्साहित करें

या उत्तेजित करें और जो खलबली उत्पन्न करें या जनता के किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाए अथवा जीवित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की अश्लील अभिव्यक्ति करें।

(iv) किसी भी फिल्म का प्रदर्शन करने से कम से कम 48 घण्टे पहले लाइसैन्सधारी फिल्म के विषय की रूपरेखा उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट को देगा जिसमें लाइसैंस प्राप्त भवन स्थित हो। और रूपरेखा में यह लिखा जाये कि चलचित्र को (ए) अथवा (यू) प्रमाणपत्र प्राप्त है :

परन्तु जिला मैजिस्ट्रेट लिखित रूप में दिए गए कारणों से इस उप-नियम के उपबन्धों में ढील दे सकता है और फिल्म की उचित रूपरेखा के बदले में एक पर्चा जिसमें फिल्म का संक्षिप्त विवरण दिया गया हो, को स्वीकार कर सकता है।

(v) लाइसैन्सधारी, लाइसैन्स प्राधिकारी की आज्ञा के बिना लाइसैन्स को या लाइसैन्स प्राप्त स्थान को या चलचित्र को किसी भी दूसरे व्यक्ति को न ही सौंपेगा न ही शिकमी पर देगा और न ही अन्यथा हस्तान्तरित करेगा और न ही लाइसैन्सधारी, जैसाकि पूर्वकथित है, बिना आज्ञा के किसी भी अन्य व्यक्ति को लाइसैन्स अवधि के दौरान लाइसैन्स प्राप्त स्थान में फिल्म दिखाने की आज्ञा देगा।

(vi) यदि लाइसैन्स प्राप्त स्थान पर कोई दुर्घटना हो जाए और इस दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है अथवा उससे व्यक्तिगति चोट या जानहानि की संभावना हो सकती हो तो लाइसैन्सधारी को ऐसी दुर्घटना के बारे में लाइसन्सधारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के बिजली निरीक्षक को दुर्घटना के होने के 24 घण्टे के अन्दर लिखित रूप में सूचना देनी होगी, और यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जानहानि हो तो इस की सूचना शीघ्रगामी तार (एक्सप्रैस टैलीग्राम) द्वारा दी जाएगी और दुर्घटना के घटित होने के 24 घण्टे के अन्दर इसकी पुष्टि लिखित रूप में की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बिजली निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी जोकि उसकी सहायता के लिए विशेष रूप से इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हों, के द्वारा निरीक्षण तथा जांच पड़ताल निलम्बित रहने तक लाइसैन्सधारी दुर्घटना स्थल में किसी प्रकार का दखल नहीं देगा और न ही वहां से दुर्घटना के समय विद्यमान किसी भी विद्युत और मशीनी यन्त्रों तारों, साज-सामान इत्यादि, जोकि दुर्घटना से सम्बद्ध हो, को हटाएगा।

(vii) जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्ववर्ती लिखित आज्ञा के बिना लाइसैन्स प्राप्त अहाता चलचित्र प्रदर्शन के इलावा अन्यथा किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(viii) लाइसैन्सधारी किसी भी फोटो, चित्र या इश्तहार जो ऐसे दृश्य या चित्र को चित्रित करें या प्रतिनिधित्व करने का आभास करवाए जिसे फिल्म सैंसर के केन्द्रीय बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन किसी फिल्म से काट दिया गया हो, को न तो चित्रित करेगा या करवाएगा।

(ix) 18 वर्ष की आयु से कम किसी व्यक्ति को सिवाये रविवार, हिमाचल सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश अथवा किसी ऐसे दिन जब शिक्षा संस्थान बन्द हों, 3 बजे सायं से पहले आरम्भ होने वाली प्रदर्शनी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

परन्तु यह प्रतिवेध 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लागू नहीं होगा।

फार्म क

हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1977 की धारा 5 के अधीन तीन वर्षीय लाइसैन्स

अस्थायी

. . . . . जिला में . . . . . नगर के अन्दर

. . . . . .

(ख) . . . . . पर स्थित (क) . . . . . नाम से

. . . . . .

प्रसिद्ध भवन/स्थान को . . . . . हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1979 की धारा 5 के अधीन ऐसे स्थान के तौर पर जहां पर प्रदर्शनी चलचित्र यन्त्र के माध्यम से हो सकती है, लाइसैन्स दिया जाता है ।

यह लाइसैन्स (ग) . . . . . को प्रदान किया जाता है और . . . . . तक प्रवृत्त रहेगा बशर्ते की उपरोक्त (ग) . . . . . अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जिसको लाइसैन्स प्राधिकारी की अनुमति से लाइसैन्स हस्तान्तरित किया गया हो जोकि पूर्वोक्त (क) में प्रयोग में लाए जा रहे चलचित्र यन्त्र का मालिक बना रहे अथवा उसका प्रबन्धक करता रहे ।

यह लाइसैन्स हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1979 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों और निम्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन दिया जाता है:

(क) भवन का नाम इत्यादि

(ख) गली का नाम अथवा मुहल्ला

(ग) लाइसैन्सधारी का नाम

शर्तों की अनुसूची

1. सभी भवन तथा दूसरे विनियमन जोकि नगरपालिका उपविधि द्वारा अथवा किसी अन्य विधि अथवा उस समय लागू किसी भी अन्य विधि के अन्तर्गत लगाए गए नियम जो जन मनोरंजन के स्थानों में लागू हों, का दृढ़ता से अनुपालन किया जायेगा ।

2. नियम 18 के अपवाद II के अनुसार कोष्ठों में दिए गए शब्द जो लागू नहीं होते काट दीजिए ।

लाइसैन्स प्राप्त भवन/स्थान हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम, 1979 के भाग-III/II के अनुसार ठीक तरह रखे जाएगें। (उसके साथ संलग्न छूट के प्रमाणपत्र में उपवधित के सिवाये) ।

3. निम्नलिखित अग्नि यन्त्र जुटाए जाएंगे, उदाहरणतया ;

(लाइसैन्स प्राधिकारी यहां नियम, 34 के अनुसार विभिन्न प्रकार के अग्नि यन्त्र जोकि आवश्यक समझें जाते हैं की संख्या दर्ज करेगा और विवरण देगा कि कहां-कहां इनकी व्यवस्था की जायेगी) ।

4. यह शर्त अस्थाई लाइसैन्स में हटाई जा सकती है । लाइसैन्सधारी, लाइसैन्स प्राप्त स्थान/भवन में सीटों का वर्गीकरण तथा उनके दर जैसाकि लाइसैन्स प्राधिकारी ने अनुमोदित किये हैं और नीचे लिखे है, उनका पालन करेगा और लाइसैन्स प्राधिकारी की अनुमति के बिना इन में कोई भी किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं करेगा ।

वर्ग	*दर्शकों की संख्या जो उसमें बैठ सकते हैं	प्रवेश दर
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

*यहां लाइसैन्स प्राधिकारी नियम 24 के उपन्बधों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए दर्शकों की संख्या लिखेंगे जो चलचित्र कक्ष के विभिन्न भागों में स्थान ले सकते हैं।

5. चलचित्र प्रदर्शनी के लिए सहायक के रूप में कोई आतिशबाजी प्रयुक्त नहीं की जाएगी ।

6. लाइसैन्स प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा दी गई आज्ञा के बिना अन्यथा कोई भी लाउडस्पीकर, ग्रामोफोन, बैंड, बेल, हार्न सीटी, साईरन अथवा किसी भी प्रकार का संगीत उपकरण लाइसैन्स प्राप्त स्थान के अन्दर या बाहर विज्ञापन के लिए या व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा और न हीं ऐसे ढंग को अपनाया जाएगा जोकि लाइसैंस प्राप्त स्थान के बाहर व्यक्तियों को मनोरंजन प्रदान करता हो ।

7. चलचित्रदर्शी अधिनियम, 1918 (1918 का II) की धारा 6 के अधीन गठित किसी प्राधिकारी द्वारा बिना किसी निर्बन्धन के जनता प्रदर्शनी के योग्य अथवा केवल व्यस्कों और तीन वर्ष से कम आयु वाले गोदी के बच्चों के लिए सीमित प्रदर्शनी के योग्य प्रमाणित की गई फिल्म के सिवाये और जब वह प्रदर्शित की जाए तो उस पर प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्धारित चिन्ह अंकित हो और उस पर ऐसा चिन्ह अंकित करने के पश्चात किसी भी ढंग से उसमें परिवर्तन न किया

हो, और नष्ट न किया हो तो ऐसी फिल्म के इलाका अन्यथा कोई फिल्म लाइसैंसधारी न तो स्वयं प्रदर्शित करेगा अथवा न ही प्रदर्शित करने की आज्ञा देगा ।

8. किसी भी फिल्म का कोई भी इश्तहार, विज्ञापन, रेखाचित्र, रूपरेखा, कार्यक्रम लाइसैंस प्राप्त स्थान के अन्दर या बाहर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा और न ही बेचा या वितरित किया जायेगा जोकि नैतिकता के लिए हानिकारक हो, अपराध को उत्साहित करें और जो खलबली उत्पन्न करें या जनता के किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाए अथवा जिसमें जीवित व्याक्तियों के प्रतिनिधित्व की अशलील अभिव्यक्ति हो ।

9. पहली बार किसी भी जिले में फिल्म का प्रदर्शन करने के कम से कम 48 घंटे पहले लाइसैंसधारी फिल्म के विषय की रूपरेखा उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट को देगा जिसमें लाइसैंस प्राप्त भवन स्थित है :

परन्तु जिला मैजिस्ट्रेट किन्हीं कारणों से जोकि लिखित रूप में दिए गए हों, उप-नियम के उपबन्धों में ढील दे सकता है और फिल्म की उचित रूपरेखा के बदले में एक पर्चा जिसमें फिल्मों का संक्षिप्त विवरण दिया हो, को स्वीकार कर सकता है ।

10. लाइसैंसधारी जब कभी और जितनी बार सरकार चाहे निःशुल्क अथबा पारिश्रमिक की ऐसी शर्तों पर जो कि सरकार नियत करें फिल्में तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लेंटरन स्लाइडस दिखाएगा :

परन्तु लाइसैंसधारी एक समय ही ऐसी फिल्में या लेंटरन स्लाइडस नहीं दिखाएगा जिनके प्रदर्शन में 15 मिनट से अधिक समय लगता हो या जब तक ये फिल्में या सलाइड मनोरंजन शो शुरू होने के कम से कम 24 घंटे पहले उसे न दिए जाएं ।

11. लाइसैंस प्राधिकारी की आज्ञा के बिना लाइसैंसधारी लाइसैंस को या चलचित्र यन्त्र को किसी भी दूसरे व्यक्ति को न ही सौंपेगा और न ही शिकमी पर देगा और न ही अन्यथा हस्तान्तरित करेगा और न ही लाइसैंसधारी बिना आज्ञा के जैसाकि पूर्वकथित है किसी भी अन्य व्यक्ति को लाइसैंस के प्रभावी होने की अवधि के दौरान लाइसैंस प्राप्त स्थान में फिल्म दिखाने की आज्ञा देगा ।

12. यदि लाइसैंस प्राप्त स्थान पर कोई दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है अथवा उससे व्यक्तिगत चोट या जानहानि की संभावना हो तो लाइसैंसधारी को ऐसी दुर्घटना के बारे में लाइसैंस प्राधिकारी को और हिमाचल प्रदेश सरकार के बिजली निरीक्षक को दुर्घटना के घटित होने के 24 घण्टे के अन्दर लिखित रूप में सूचना देनी होगी, और यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप जानहानि हो तो इसकी सूचना शीघ्रगामी तार (एक्स्प्रैस टैलीग्राम) द्वारा दी जाएगी और दुर्घटना के घटित होने के 24 घण्टे के अन्दर लिखित रूप में इसकी पुष्टि की जायेगी । हिमाचल प्रदेश के बिजली निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी जोकि उसकी सहायता के लिये विशेष रूप से इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया हो, के द्वारा निरीक्षण तथा जांच पड़ताल निलम्बित रहने तक लाइसैंसधारी दुर्घटना स्थान में किसी प्रकार का दखल नहीं देगा और न ही दुर्घटना के समय विद्यमान किसी भी विद्युत्त और मशीनी यन्त्रों, तारों, साज-सामान इत्यादि जो कि दुर्घटना से सम्बद्ध हो, को हटाएगा ।

13. लाइसैंसधारी किसी भी दर्शन में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा जिसने अपना टिकट लाइसैंस प्राप्त स्थान में प्राधिकृत बुकिंग क्लर्क या एजेन्ट जिसका नाम और व्यवसाय का स्थान पहले ही जिला मैजिस्ट्रेट को अधिसूचित हो वह जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा टिकटों के विक्रम के एजेन्ट के रूप में सुयोग्य व्यक्ति ठहराया गया हो, की बजाए अन्यथा खरीदा हो ।

14. लाइसैंसधारी उस स्थान पर जहां का लाइसैंस दिया गया हो किसी भी ऐसी फिल्म का प्रदर्शन किसी भी अवस्यक के लिये न करेगा और न ही इसकी आज्ञा देगा जो चलचित्रदर्शी अधिनियम, 1918 (1918 का II) की धारा 6 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा केवल व्यस्कों के लिए ही जन प्रदर्शन के उपयुक्त मानी गई हो ।

टिप्पणी.—यह शर्त उस फिल्म जिसे (ए) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो, की प्रदर्शनी 3 साल से कम आयु के गोदी के वच्चों के लिये निषेध नहीं समझी जायगी ।

15. यौन व्यक्तियों और यौन विकारों को ठीक करने वाली औषधियों या निसंतान को सन्तान प्राप्त करने का आभास कराने की सहायता इत्यादि से सम्वन्धित विज्ञापन सिनेमा घरों में स्लाईडों द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जायेंगे ।

16. चलचित्र फिल्मों से सम्वन्धित इश्तहार और चित्रमय प्रचार की सामग्री जोकि फिल्म को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करें और यह यदि अश्लील न भी हों परन्तु आपत्तिजनक होने का आभास दें व सिनमा घरों में नहीं दिखाये जायेंगे ।

17. फिल्म निम्न स्थानों पर रखी जायगी:—

(i) ऐसे संग्रहगार जोकि उचित, अज्वलनशील सामग्री, जिसके दरवाजे और रोशनदान चाहे लकड़ी के हों, जो बाहर की तरफ को खुल, का वना हो ; या

(ii) निजि भूमि पर लगाए गए तम्बू के अन्दर जोकि किसी निवास स्थान, अन्य भवन, उच्च मार्ग, गली या जन स्थान से कम से कम 7.6 मीटर दूरी पर हो ।

18. संग्रहागार किसी भी ऐसे भवन का भाग नहीं होगा या उससे संलग्न नहीं होगा जहां पर कोई व्यक्ति निवास करता हो या जहां लोग किसी उद्देश्य के लिय एकत्रित होते हों, जव तक कि उसे किसी मजबूत फर्श या विभाजक दीवार के द्वारा अलग न किया जाये ।

19. यदि संग्रहगार किसी भवन में हो तो वह सीढ़ियों के नीचे या किसी अन्य बहिर्गमन स्थान जिसे आग लगने की स्थिति में बचाव के लिये प्रयोग किया जाना अपेक्षित हों, स्थित नहीं होगा ।

20. संग्रहगार में पूर्णरूप से भूमि के स्तर पर और छत पर या छत के नजदीक वायु संचार की व्यवस्था होगी । सभी रोशनदानों में धातु की जालियां या दीवार के बाहरी भाग पर उसी तरह का आवरण तथा मैस ब्रास नं0 16 की परत या कोई अन्य न घिसने वाली धातु की तारें दीवार के अन्दर की तरफ फिट की जाएंगी ।

21. फिल्म आग प्रतिरोधक अलमारी, जिसे अच्छी तरह वन्द किया जा सके, में रखी जायेगी ।

22. संग्रहगार अथवा तम्बू किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

23. (i) सभी कार्य जो मिल्मों के परीक्षण, मुरम्मत, सफाई, वैकसिंग और पुनः रील को चढ़ने से सम्बन्धित हो सिर्फ परीक्षण भवन में ही किए जायेंगे और वह कक्ष किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा और संग्रहगार से विभाजक दीवार द्वारा अलग किया जायेगा ।

(ii) परीक्षण कक्ष केवल अग्नि प्रतिरोधक सामग्री से बनाया जायेगा और इस में उचित रूप से बाहरी वायें का संचार होगा ।

(iii) एक समय में एक परीक्षक द्वारा परीक्षण के लिये फिल्म की दो से अधिक रीलें नहीं खोली जायेंगी और एक समय में 10 से अधिक फिल्म की रीलें परीक्षण या मुरम्मत अधीन नहीं होंगी ।

24. परीक्षण कक्ष में फिल्मों का कुड़ा कर्कट तथा घिसे टूकड़े धातु के एक मजबूत पात्र जो कि कसे हुए कब्जेदार ढक्कन से फिट किया हो और उस पर "फिल्म वैस्ट" शब्द लिखे होंगे में तत्काल रखे जायेंगे और उसे नष्ट किए जाने तक पानी के नीचे रखा जाएगा । ड्रमों के अन्तर्वस्तुओं को पूर्ण सतर्कता से जलाकर अथवा ऐसे दूसरे तरीके से जैसे कि लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए से नष्ट किया जायेगा ।

25. लाइसैंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना संग्रहगार या परीक्षण कक्ष में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा । ऐसे स्वीकृत परिवर्तन, संशोधित रेखाचित्र में इस लाइसैंस के साथ संलग्न किए जायेंगे ।

26. फिल्म के संग्रह के लिये दो संग्रहगार साथ-साथ तथा एक ही भवन में नहीं होंगे ।

27. आग या विस्फोट से दुर्घटना के प्रति हर समय बचाव के लिये उचित सावधानियां बर्ती जायेंगी, और लाइसैंस प्राप्त अहाते में धूम्रपान, आग या ऐसे पदार्थ जोकि फिल्म में आग लगने का कारण बन सकें किसी भी समय लाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी ।

28. कमरे में फर्नीचर और अन्य वस्तुएं इस तरह रखी जायेंगी कि आग लगने की स्थिति में व्यक्ति आसानी से बाहिर जा सके ।

29. कमरे में मोटे अक्षरों में लिखे निम्न पोस्टर लगाए जायेंगे :—

(i) आग लगने की स्थिति में क्या कार्यवाही की जाये इसके पूर्ण अनुदेश, और

(ii) आग लगने की स्थिति में कक्ष में से बचाव के साधन के पूर्ण निर्देश ।

30. लाइसैंस प्राप्त अहाते में समुचित समयों पर किसी भी मैजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो कि उप-निरीक्षक के पद से कम न हो अथवा जिसे जिला मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या विद्युत्त निरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाए, को प्रवेश की आज्ञा दी जायेगी, और यह निश्चित करने के लिए कि सभी नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है उस अधिकारी को सभी सुविधाएं दी जायेंगी ।

31. लाइसैंस प्राप्त अहाते में किसी भी दुर्घटना, आग या विस्फोट होने की स्थिति में जिससे जानहानि या व्यक्तियों को सम्भीर चोट या सम्पत्ति की हानि हो तो इसकी सूचना तुरन्त निकटतम मैजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को तार द्वारा या टैलीफोन पर जहां पर संचार के यह साधन उपलब्ध हों, दी जायेगी ।

32. यदि लाइसैंस प्राधिकारी लाइसैन्सधारी को लिखित सूचना द्वारा लाइसैंस प्राप्त अहाते में मुरम्मत का कार्य करने के लिये सूचित करें जोकि ऐसे प्राधिकारी की राय में अहाते के बचाव के लिये आवश्यक है तो लाइसैंसधारी सूचना मिलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर या जैसाकि सूचना में नियत किया गया हो, उस अवधि में मुरम्मत का कार्य निष्पादन करवाएगा ।

33. (क) संग्रहगार कमरे अथवा निरीक्षण कमरे की सारी बत्तियां छत पर होंगी तथा स्थिर किस्म की होगी । वे ठोस, वाह्य संरक्षण वाष्य प्रूफ गलोब्ल की लेस सोक्टिस (Keyless Sockets) द्वारा सज्जित होगी, सभी स्विच, फयूज, प्लग, सोक्टिस बिजली के मीटर तथा बिजली वितरण बोर्ड परीक्षण कक्ष या संग्रहगार के बाहर लगाए जायेंगे । सभी फ्रेम उचित रूप में जमीन में गाड़ दिए जायेंगे ।

(ख) सभी बिजली की तारें तथा दूसरे उपकरण विद्युत अभियन्ता द्वारा निर्मित इल्किट्रिक एक्यूपमैन्ट आफ बिल्डिंगस विनियमों के अनुरूप होंगे । सभी बिजली की तारें वायुरहित कसी हुई नालियों में इल्कट्रिकल तथा मकैनिकली रूप में निरन्तर तथा सभी स्थानों पर होगीं । तथा उन्हें भवन के बाहर उचित ढंग से जमीन में दबाया जायेगा ।

(ग) परीक्षण कक्ष या संग्रहगार में एक्सटेनशन बोर्ड पर सुवाह्य विद्युत रोशनी का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

34. जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्ववर्ती लिखित आज्ञा के बिना लाइसैंस प्राप्त अहाता चलचित्र प्रदर्शन के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

35. लाइसैन्सधारी किसी भी फोटों, चित्र या इश्तहार को चित्रित नहीं करेगा न ही करवाएगा जिसमें ऐसा दृष्य या चित्र चित्रित हों अथवा चित्रित होने की संभावना हो जिसे फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन किसी फिल्म से काट दिया गया हो ।

36. (*i*) जब कभी जनता के लिये अहाते खुले हो तो प्रत्येक प्रवेश द्वार पर स्पष्ट मोटे अक्षरों तथा अंकों में, सारणी के रूप में नोटिस प्रदर्शित किया जायेगा, जिसमें :—

(क) ट्रेलर और विज्ञापन फिल्म के अतिरिक्त प्रत्येक फिल्म का शीर्षक जो उस दिन दिखाई जानी है ;

(ख) इस तरह की प्रत्येक फिल्म के शुरू होने का लगभग समय;

(ग) क्या इस तरह की प्रत्येक फिल्म को केन्द्रीय बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर से (ए) या (यू) का प्रमाण पत्र दिया हो ; और

(घ) क्या 3 वर्ष की आयु के बच्चों के अतिरिक्त 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायेगा या नहीं ।

(*ii*) केन्द्रीय बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर द्वारा किसी भी फिल्म के लिये प्राप्त प्रमाण-पत्र का स्वरूप अहाते में दिखाई जाने वाली फिल्म के विज्ञापन में अक्षर (यू) अथवा (ए) स्पष्ट रूप से दर्शाये जायेंगे ।

37. 18 वर्ष की आयु से कम किसी व्यक्ति को सिवाये रविवार, हिमाचल सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश अथवा किसी ऐसे दिन जब शिक्षा संस्थान बन्द हों, 3 बजे सायं से पहले आरम्भ होने वाली प्रदर्शनी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

फार्म ख

हिमाचल देश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1979 के अधीन फिल्म प्रदर्शन के लिये अस्थायी परमिट

क्योंकि .....(पूरा नाम तथा पता) ने अपने लाइसैन्स के नवीकरण के लिये प्रार्थना की है और उक्त लाइसैन्स इस प्रार्थना पत्र के निपटान तक मेरे कार्यालय में है उसे .....(यहां अहाते का विवरण किया जाये) हिमाचल प्रदेश (विनियमन) अधिनियम, 1979 के अधीन इस तिथि से ..... अवधि के दिय हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1979 के नियम 7 के उपबन्धों के अधीन ..... फिल्म प्रदर्शन की आज्ञा दी जाती है।

दिनांक : .....

..... 198 .

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।